



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय: 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

विषय वस्तु

विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या	विषय-वस्तु	पृष्ठ संख्या
सूचना	2	नामांकन फॉर्म	28
नोट्स	3	घोषणा फॉर्म	29
व्याख्यात्मक विवरण	8		
सम्बद्ध अधिनियमों एवं विनियमनों से उद्धरण	15		

महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की सारणी

घटनाक्रमों की सारणी	दिनांक	दिन
1. असाधारण सामान्य बैठक में सहभागिता और उसमें वोटिंग के लिए शेयरधारकों के पात्रता निर्धारण की रिकॉर्ड तिथि	10.11.2022	गुरुवार
2. नामांकन फॉर्म प्रस्तुति की अंतिम तिथि (तक या पहले)	30.11.2022	बुधवार
3. नामांकनों की जांच	01.12.2022	गुरुवार
4. प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के प्रस्तावों की मूल प्रति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	09.12.2022	शुक्रवार
5. सीडीएसएल पर ई-वोटिंग तिथियाँ	12.12.2022 से 14.12.2022 तक	सोमवार से बुधवार
6. विडियो कॉन्फरेंस (वीसी) व अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के ज़रिए आयोजित की जाने वाली ईजीएम की तिथि व समय	15.12.2022 (11.00 AM)	गुरुवार
7. ईजीएम हेतु निर्धारित स्थान	इण्डियन ओवरसीज़ बैंक केंद्रीय कार्यालय: 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002	

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

मेसर्स केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज़ लिमिटेड
(यूनिट- इण्डियन ओवरसीज़ बैंक)

सुब्रमणियन बिल्डिंग

पंचम तल, संख्या 1, क्लब हाउस रोड

चेन्नै 600 002

टेलीफोन :044-2846 0390 (छह लाइनें)/

044-2846 0395

फैक्स :044 -2846 0129

ईमेल : cameo@cameoindia.com



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केंद्रीय कार्यालय: 763, अण्णा सालै, चेन्नै- 600 002

शेयरधारकों को नोटिस

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन 2003 (2008 तक यथासंशोधित) के विनियमन 57 के अनुसार एतद्वारा नोटिस दी जाती है कि **गुरुवार , 15 दिसंबर 2022 को सुबह 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम (ओएवीएम) के ज़रिए से शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक** का आयोजन निम्नलिखित कार्यों को संपन्न करने हेतु किया जाएगा:

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम , 1970 (जिसे आगे "अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) जो कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम , 1949 (जिसे आगे "विनियमन अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे आगे "योजना" के रूप में संदर्भित किया गया है) तथा इंडियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन 2003 (2008 तक यथासंशोधित) (जिसे आगे "विनियमन" के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 9(3)(i) के अनुसार निम्न संकल्पों को पारित कर बैंक (केंद्र सरकार से इतर) के शेयरधारकों के बीच से एक निदेशक का चुनाव किया जाना है, जो कि अधिनियम की धारा 19 व भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना संख्या डीबीओडी. सं. बीसी. सं. 46 व 47/29.39.001/2007-08 दिनांकित 01 नवंबर 2007 और सं. डीबीओडी . बीसी. सं.95/29.39.001/2010-11 दिनांकित 23 मई 2011 एवं सं. डीबीआर.एपीपीटी. सं. : 9/29.67.001/2019-20 दिनांकित 02 अगस्त 2019, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संदर्भ संख्या . एफ. सं. 16/83/2013-बीओआइ दिनांकित 03 सितंबर 2013, जो कि सरकार द्वारा दिनांक 25 मार्च 2015 व 20 जुलाई 2016 को जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर- आधिकारिक निदेशक हेतु विचाराधीन मानदंडों के अधीन होगा :

"यह संकल्प किया गया कि अधिनियम की धारा 9(3)(i) जो कि संबंधित योजना, विनियमनों, आरबीआइ की अधिसूचनाओं ,भारत सरकार के दिशानिर्देशों , इत्यादि के साथ पठित है, के अनुसरण में केंद्र सरकार के इतर शेयरधारकों के बीच से एक निदेशक के चुनाव किया जाना है और इस प्रकार से चयनित बैंक के निदेशक 20 दिसंबर 2022 को पदभार ग्रहण करेंगे और वे पदभार ग्रहण करने के समय से 03 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे ।"

(निदेशक मंडल की ओर से)
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

स्थान : चेन्नै - 600 002
दिनांक : 08 नवंबर 2022

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबन्ध निदेशक व सीईओ

नोटिस

क. कोविड -19 महामारी के मद्देनज़र , एमसीए (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) ने अपने परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, संख्या 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020, संख्या 33/2020 दिनांकित सितंबर 28, 2020, परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांकित 08 दिसंबर 2021 एवं परिपत्र संख्या 3/2022 दिनांकित मई 05, 2022 एवं सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/ एचओ/ सीएफ़डी/ सीएमडी 1/ सीआईआर/ पी/ 2020/ 79 दिनांकित मई 12, 2020 के माध्यम से कंपनियों को वर्ष 2022 तक की अवधि तक शेयरधारकों की प्रत्यक्ष मौजूदगी के बिना ही वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है । सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएँ व प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (सेबी सूचीबद्धता विनियमन) के प्रावधानों और एमसीए द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य दृश्य श्रव्य (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक का आयोजन कर रहा है । अतः शेयरधारक ईजीएम में केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ही सहभागिता कर सकते हैं ।

बैंक ने **केंद्रीय डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को ईजीएम हेतु वीसी/ ओएवीएम सुविधा प्रदान करने और ईजीएम के आयोजन करने हेतु अटेंडेंट इनेब्लर्स के रूप में नियुक्त किया है ।

कथित सेबी एवं एमसीए परिपत्रों में वर्णित दिशानिर्देशों के अनुपालन में ईजीएम नोटिस की सूचना उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही प्रेषित की जाएगी जिनके ई-मेल पते बैंक/ डिपोजिटरी के पास पंजीकृत हैं । शेयरधारक यह नोट करें कि नोटिस बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर अपलोड की गयी है । नोटिस को स्टॉक एक्सचेंजों यानि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है एवं ईजीएम नोटिस सीडीएसएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट www.cdsindia.com पर भी उपलब्ध है ।

ए) ईजीएम नोटिस प्राप्त करने हेतु भौतिक रूप से शेयर धारित करने वाले शेयरधारक <https://investors.cameoindia.com> लिंक पर क्लिक कर अस्थाई रूप से अपना ईमेल आइडी पंजीकृत कर सकते हैं । बैठक का आयोजन बैंक के केंद्रीय कार्यालय बैठक जो कि 763, अण्णा सालै , चेन्नै -600002 में स्थित है , में किया जाएगा ।

सी) व्याख्यात्मक विवरण:

बैठक के कार्रवाई के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण यहाँ संलग्न है ।

डी) वोटिंग अधिकार:

अधिनियम की धारा 3 के उपखंड (2ई) के अनुसार, समवर्ती नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, केन्द्र सरकार के अलावा, अपनी कितनी भी शेयरधारिता के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक वोटिंग अधिकारों के प्रयोग के लिए प्राधिकृत नहीं होगा ।

उपर्युक्त को देखते हुए **रिकार्ड तिथि यानि गुरुवार, 10 नवंबर 2022** को शेयरधारक के तौर पर पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक, बैंक के दो शेयरधारक निदेशकों के चुनाव में सहभागिता (नामांकन, चुनाव लड़ने और वोट) के लिए हकदार होगा और कार्यसूची के मदों पर वोट के लिए **रिकार्ड तिथि** को धारित प्रत्येक शेयर के लिए उसके पास एक वोट होगा ।

विनियमन के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम से है, पंजी में पहले जिस व्यक्ति का नाम होगा, वोटिंग के संबंध में, उसे ही मूल धारक समझा जाएगा । अतः यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तब सिर्फ पहला नामित व्यक्ति ही बैठक में सहभागिता का हकदार होगा और वह बैठक में सिर्फ नामांकन, चुनाव लड़ने एवं वोट के लिए पात्र होगा ।

ई रिमोट ई-वोटिंग :

सेबी विनियमन, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 (एलओडीआर) एवं एमसीसी परिपत्र सं. 14/2020 दिनांकित अप्रैल 08, 2020, सं. 17/2020 दिनांकित अप्रैल 13, 2020, परिपत्र सं 20/2020 दिनांकित मई 05, 2020, 22/2020 दिनांकित जून 15, 2020 एवं परिपत्र सं. 33/2020 दिनांकित सितम्बर 28, 2020, परिपत्र संख्या 20/2021 दिनांकित दिसंबर 08, 2021 एवं परिपत्र संख्या 03/2022 दिनांकित मई 05, 2022 एवं सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/ सीएमडी1/परि/पी/2020/79 दिनांकित मई 12, 2020 का संदर्भ लेते हैं और स्टॉक एक्सचेंज के साथ एकीकृत सूचीबद्ध समझौते के अनुसार बैंक नोटिस में वर्णित मद के अनुसार शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में मतदान सुविधा प्रदान करने जा रहा है जिसके लिए बैंक ने **केन्द्रीय डिपॉजिटरी सर्विस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)** को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है, जो कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु प्लेटफार्म प्रदान करेगी। रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों / लाभकर्ताओं द्वारा गुरुवार, नवंबर 10, 2022 तक धारित इक्विटी शेयरों के संबंध में ही उनके वोटिंग अधिकारों को गणना में लिया जाएगा। बैंक के शेयरधारक जिनके पास अंतिम तिथि तक बैंक के शेयर भौतिक या अमूर्त रूप में हैं, वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाल सकते हैं। बैंक ने मेसर्स आर.श्रीधरन एवं एसोसिएट्स के श्री आर. श्रीधरन, कंपनी सचिव (एफसीएस सं. 4775) (सीपी. सं. 3239) को रिमोट वोटिंग प्रक्रिया और साथ ईजीएम के दिन ई-वोटिंग प्रक्रिया सही एवं निष्पक्ष रूप में आयोजित करने के लिए जाँचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

ई ई-एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग, वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में जुड़ने एवं ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया एवं अनुदेश:

1. रिमोट ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नलिखित हैं:

1) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, दिसंबर 12, 2022 को सुबह 09.00 बजे से शुरू होगी और बुधवार, दिसंबर 14, 2022 को सायं 05.00 बजे (आइएसटी) को समाप्त हो रही है। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारकों को जो उन्हें भौतिक रूप में या बेकागजीकृत रूप में विशिष्ट किए हुए हैं, वे अंतिम तिथि गुरुवार, दिसंबर 08, 2022, अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाल सकते हैं। इसके बाद सीएसडीएल द्वारा ई-वोटिंग माड्यूल को असमर्थ कर दिया जाएगा।

2) शेयरधारकों जिन्होंने बैठक तिथि से पहले वोट दे दिया है, वे इस बैठक में वोट देने के हकदार नहीं हैं।

3) ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों को वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग आन करना चाहिए।

4) शेयरधारक माँड्यूल पर क्लिक करें।

5) अब अपनी यूजर आइडी प्रविष्ट करें।

ए) सीएसडीएल के लिए – 16 अंकों का लाभकर्ता आइडी

बी) एनएसडीएल के लिए – 8 कैरेक्टर की डीपी आइडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आइडी

सी) भौतिक रूप में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो संख्या प्रविष्ट करनी चाहिए।

या,

वैकल्पिक रूप से, यदि आप सीडीएसएल के ईएसआइ / ईएसआईएसटी ई- सेवाओं के लिए पंजीकृत है, तब आप <https://www.cdslindia.com> पर लॉग इन – माईईजी ("Myeasi") पर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल उपयोग कर लॉग – इन कर सकते हैं।

6) इसके बाद प्रदर्शित अनुसार इमेज वेरिफिकेशन प्रविष्ट कीजिए और लाग इन पर क्लिक करें।

7) यदि आपके पास शेयर डीमैट रूप में है और आप www.evotingindia.com पर लागू आन कर पहले किसी अन्य कंपनी की वोटिंग में वोट डाल चुके हैं तब आपके मौजूदा पासवर्ड का ही प्रयोग किया जाना है।

8) यदि आप पहली बार प्रयोग कर रहे हो तो निम्नलिखित का पालन करें।

डीमैट और भौतिक रूप में शेयरधारित करने वाले शेयरधारकों के लिए	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक पैन प्रविष्ट करें (दोनों डीमैट और भौतिक रूप से शेयर धारित करने वालों पर लागू) शेयरधारकों जिन्होंने अपना पैन कंपनी / डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास अद्यतन नहीं कराया है उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी / आरटीए द्वारा प्रेषित क्रम संख्या का उपयोग करें या कंपनी / आरटीए से संपर्क करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्म तिथि (डीओबी)	लागू इन करने के लिए लाभांश बैंक या जन्म तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई प्रारूप में) प्रविष्ट करें जैसा कि आपके डीमैट खाते में दर्ज है। यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के पास दर्ज नहीं है तब कृपया लाभांश बैंक विवरण खाली स्थान में (V) में दिए अनुदेशों के अनुसार सदस्य आईडी / फोलियो संख्या प्रविष्ट करें।

9) इन विवरणों को सही प्रकार से भरने के बाद "सबमिट" टैब पर क्लिक करें।

10) भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों इसके बाद सीधे कंपनी चयन की स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। हालांकि, डीमैट रूप में शेयर धारित करने वाले शेयरधारक 'पासवर्ड क्रिएशन' मेन्यू पर पहुँचेंगे यहाँ उन्हें अपना लागू इन और पासवर्ड, नए पासवर्ड फील्ड में, अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड को डीमैट शेयरधारकों द्वारा अन्य कंपनियों के संकल्पों की वोटिंग के लिए, जिनके लिए वे वोट के पात्र हैं, वहाँ भी इस्तेमाल किया जाएगा बशर्ते कि कंपनी ई-वोटिंग के लिए सीडीएसएल के प्लेटफॉर्म का विकल्प चुनती है। यह जोर देकर बताया जा रहा है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य के साथ साझा नहीं करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

11) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण सिर्फ इस नोटिस में मौजूद संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

12) इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के ईवीएसएन पर क्लिक करें।

13) वोटिंग पृष्ठ पर, आपको "संकल्प विवरण" दिखेगा और वोटिंग के लिए उसके प्रति हाँ / नहीं विकल्प रहेगा। इच्छा अनुसार हाँ / नहीं का बटन चयन करें। विकल्प हाँ का तात्पर्य है कि आपने संकल्प को अनुमति प्रदान की और विकल्प नहीं का तात्पर्य है कि आपने संकल्प को अनुमति नहीं प्रदान की।

14) यदि संकल्प का विवरण देखना चाहते हैं तो "रिज़ोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें।

15) रिज़ोल्यूशन के चयन के बाद आपको वोट डालने का निश्चय करना है और फिर "सबमिट" पर क्लिक करना है। एक पुष्टि बॉक्स आपके सामने प्रदर्शित होगा। यदि आप अपने वोट को पुष्ट करना चाहते हैं तो "ओके" को क्लिक करें अन्यथा अपना वोट बदलने के लिए "कैंसिल" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

16) एक बार अपने वोट की पुष्टि करने के बाद आपको अपने वोट में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

17) आप वोटिंग पेज पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प से डाले गए वोटों का प्रिंट भी ले सकते हैं।

18) यदि कोई डीमैट खाता धारक अपना लागू इन पासवर्ड भूल गया है तो उसे यूज़र आईडी और इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करना होगा और फोरगेट पासवर्ड पर क्लिक करना होगा।

19) शेयरधारक अपना वोट सीडीएसएल के मोबाइल एप एम – वोटिंग के जरिए भी डाल सकते हैं। एम – वोटिंग एप को संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अपने मोबाइल पर वोट करते हुए कृपया अपने मोबाइल पर आ रहे अनुदेशों का पालन करें।

वे शेयरधारक जिनका ई-मेल एड्रेस डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है, उन्हें इस नोटिस में प्रस्तावित रिज़ोल्यूशन के लिए ई-वोटिंग हेतु लाग इन क्रेडेंशियल प्राप्त करने की प्रक्रिया:

1. भौतिक रूप में शेयर रखने की स्थिति में – कृपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नं., शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे व पीछे) की स्कैनड प्रति, पैन (स्वतः प्रमाणित पैन कार्ड की स्कैनड प्रति), आधार (स्वतः प्रमाणित आधार कार्ड की स्कैनड प्रति) ई-मेल के द्वारा investor@cameoindia.com पर प्रेषित करें।
2. डीमेट रूप में शेयर रखने की स्थिति में – कृपया डीमेट खाता का विवरण (सीडीएसएल – 16 अंकों का लाभकर्ता आईडी या एनएसडीएल 16 अंकों का डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (स्वतः प्रमाणित पैन कार्ड की स्कैनड प्रति), आधार (स्वतः प्रमाणित आधार कार्ड की स्कैनड प्रति) ई-मेल के द्वारा investor@cameoindia.com पर प्रेषित करें।

2. वीसी / ओएवीएम के माध्यम ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों हेतु अनुदेश निम्नवत है:

1. शेयरधारकों को ईजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने की सुविधा सीडीएसएल ई-वोटिंग पद्धति के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। शेयरधारक वहाँ <https://evotingindia.com> पर शेयरधारक / सदस्य लाग इन द्वारा रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल का प्रयोग कर पहुँच सकते हैं। शेयरधारकों या सदस्यों के लाग इन में वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक उपलब्ध होगा जहाँ बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।

2. शेयरधारकों को अच्छे अनुभव के लिए बैठक में लैपटॉप / आइपैड के माध्यम से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाता है।

3. आगे शेयरधारक को बैठक के दौरान कैमरा को अनुमति देना आवश्यक होगा और किसी बाधा से बचने के लिए अच्छे स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करें।
4. कृपया ध्यान दें कि मोबाइल डिवाइस या टैबलेट या लैपटॉप द्वारा हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागी उनके संबंधित नेटवर्क में उतार – चढ़ाव आने के कारण ऑडियो / विडियो की समस्या का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए यह सुझाव दी जाती है कि किसी भी प्रकार उपरोक्त गड़बड़ी से बचने के लिए स्टेबल वाई-फाई या लेन कनेक्शन प्रयोग में लाएँ।
5. शेयरधारक एजीएम बैठक शुरूआत होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले या बाद में सूचना में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुशरण करते हुए, वीसी / ओएवीएम मूड के माध्यम से जुड़ सकते हैं। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में सहभागिता करने की सुविधा पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर 1,000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगा। इसमें वृहत्त शेयरधारकों (शेयरधारकों जिन्होंने 2 % या उससे अधिक शेयरधारण कर रखा है), प्रमोटर, संस्थान निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबन्धन कार्मिक, लेखा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं हितधारकों संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि को नहीं जोड़ा जाएगा, जिन्हें ईजीएम में फ़स्ट कम फ़स्ट सर्वड आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के भाग लेने की अनुमति है।
6. वे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपना विचार प्रकट करना / प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें स्वयं को पहले ही या दिसंबर 09, 2022 तक स्पीकर के रूप में पंजीकृत करने के लिए, अपना निवेदन investor@jobnet.co.in पर अपना नाम, डिमेट खाता संख्या / फोलिओ संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर भेजना है। वे शेयरधारक जो एजीएम के दौरान बात नहीं करना चाहते हैं परंतु उनका कोई प्रश्न है, तो वे investor@jobnet.co.in पर अपना नाम, डिमेट खाता संख्या / फोलिओ संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर लिखकर अग्रिम रूप में दिसंबर 09, 2022 तक या उससे पहले भेज सकते हैं। बैंक द्वारा उन प्रश्नों का उत्तर ई-मेल द्वारा या एजीएम के दौरान उपयुक्त ढंग से दी जाएगी।
7. वे शेयरधारक जो बैठक के दौरान अपन विचार प्रकट करना / प्रश्न पूछना चाहते हैं के लिए स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत किये हैं, सिर्फ़ उन्हीं को अनुमति दी जाएगी।
8. वीसी / ओएवीएम के माध्यम से सहभागिता करने वाले शेयरधारकों की गिनती कोराम के उद्देश्य से की जाएगी।

ख. 3. ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नवत हैं:

1. ईजीएम के दिन का ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए उद्धृत उपर्युक्त अनुदेश के तरह ही है।
2. सिर्फ वे शेयरधारक, जो वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से उपस्थित हो रहे हैं और अपना वोट रिजाल्यूशन पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से नहीं दे पाए हैं और जिन्हें ऐसा करने से नहीं रोका गया है, वे ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग पद्धति के माध्यम से वोट करने के पात्र होंगे।
3. एक बार सदस्य द्वारा रिजाल्यूशन पर वोट कर देने पर, उसे सदस्य बाद में बदल नहीं सकते हैं या वोट पुनः नहीं दे सकते हैं।
4. यदि कोई भी वोट शेयरधारकों द्वारा ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई-वोटिंग के माध्यम से दिया जाता है और यदि वह शेयरधारक वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से बैठक में सहभागिता नहीं की है, तब ऐसे शेयरधारक द्वारा दिया गया वोट मान्य नहीं है जैसा कि ई-वोटिंग की सुविधा बैठक के दौरान उपस्थित होने वाले बैठक में सहभागिता करने वाले शेयरधारकों के लिए है।
5. वे शेयरधारक जो रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट किये हैं, वे ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे। इसप्रकार, वे ईजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे।

गैर व्यक्तिगत शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए नोट:

- गैर – वैयक्तिक शेयरधारकों (यानि वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) और संरक्षकों को www.evotingindia.com पर लाग इन करना होता है और स्वयं को "कार्पोरेट" मॉड्यूल में पंजीकृत करना होता है।
- पंजीकरण फार्म की स्कैन प्रति जिस पर ईकाई का स्टैप और हस्ताक्षर अंकित होता है और उसे helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल किया जाएगा।
- लाग इन विवरण प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लाग इन और पासवर्ड की मदद से एक अनुपालन उपयोगकर्ता सृजित करना होगा। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक कर सकेगा जिनके लिए वे वोट करना चाहते हैं।
- लाग इन में लिंक किए गए खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों की मंजूरी मिलने के बाद वे अपना वोट डाल सकेंगे।
- बोर्ड संकल्प और मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन प्रति जिसे उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है तो, उसे पीडीएफ प्रारूप में संवीक्षक द्वारा जाँच के लिए प्रणाली में अपलोड किया जाएगा।
- वैकल्पिक रूप से यदि वे वोट वैयक्तिक टैब पर दिए हैं और सीडीएसएल ई-वोटिंग पद्धति में उसे संवीक्षक द्वारा सत्यापित करने के लिए अपलोड न किया गया हो तो गैर वैयक्तिक शेयरधारकों को संबंधित बोर्ड रिजाल्यूशन / प्राधिकरण पत्र आदि सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक को भेजें जो वोट देने के लिए प्राधिकृत हो और बैंक को ई-मेल एड्रेस यानि investors@iobnet.co.in पर भेजें साथ ही कॉपी investor@cameoindia.com और rsevoting@gmail.com को मार्क करें।

वोटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की सुविधा से संबंधित सभी शिकायत के लिए श्री राकेश डाल्वी, प्रबन्धक (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि., ए विंग, 25 वाँ तल, मैराथन फ्यूचरेक्स, मोफटलाल मिल कंपाउंड, एन. एम जोशी मार्ग, लोअर पेरेल (पूर्वी), मुम्बई – 400 013 को लिखें या ई-मेल helpdesk.evoting@cdslindia.com प्रेषित करें या 1800-22-55-33 पर संपर्क करें।

एफ) प्रॉक्सी की नियुक्ति:

पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुरूप, इस ईजीएम के लिए शेयरधारकों के पक्ष में वोट देने या प्रॉक्सी में भाग लेने की नियुक्ति संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जैसे कि वह वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित हो रहा है। तदनुसार, इस नोटिस के साथ प्रॉक्सी फार्म और उपस्थिति स्लिप संलग्न नहीं हैं।

जी) अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

बॉडी कार्पोरेट ईजीएम में वीसी / ओएवीएम के माध्यम से भाग लेने के लिए अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और उस समय भाग ले सकता है और ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट दे सकता है। संस्थान / कार्पोरेट शेयरधारक (यानि वैयक्तिक / एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) को अपने बोर्ड रिजाल्यूशन या शासकीय निकाय संकल्प / प्राधिकरण आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ / जेपीईजी प्रारूप) भेजना आवश्यक है, जिससे कि वे अपने प्रतिनिधि को वीसी / ओएवीएम के माध्यम से अतिरिक्त सामान्य

बैठक में भाग लेने के लिए आपकी ओर से और ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए अधिकृत करते हैं। संवीक्षक को उक्त रिजाल्यूशन / प्राधिकरण ई-मेल के द्वारा अपने पंजीकृत ई-मेल एड्रेस से

agm@cameoindia.com को और rsaevoting@gmail.com एवं बैंक को investor@gmail.com पर कॉपी मार्क करते हुए दिसंबर 09, 2022 तक सायं 4 बजे (आइएसटी) तक या उससे पहले भेज दें।

एच) अंतरण:

बैंक के शेयरों के अंतरण के लिए अंतरण विलेखों के साथ शेयर प्रमाण पत्र को शेयर अंतरण एजेंट को उस पत्र पर अग्रेषित करना चाहिए जो इस सूचना में अन्य किसी जगह दिया गया है।

आइ) पते में परिवर्तन :

जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पंजीकृत पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है तो, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर दें:

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेस लि.

(आइओबी – यूनिट)

सुब्रमणियन बिल्डिंग, प्रथम तल,

नं. 1 – क्लब हाउस रोड, चेन्नै – 600 002

टेलीफोन : 044-2846 0390 (छ: लाइनें) / 044-2846 0395

फैक्स : 044 – 2846 0129 ईमेल : investor@cameoindia.com

इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर रखने वाले शेयरधारक अपने पंजीकृत पते और इसीएस अधिदेश व्योरे में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है तो, सिर्फ संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी (यों) को दें।

जे) ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग एवं ई-वोटिंग के परिणाम:

संवीक्षक, ईजीएम के ई-वोटिंग के समापन के पश्चात, प्रथमतः ईजीएम के दौरान दिये गए वोट की गणना करेंगे, उसके बाद ईजीएम समापन के 48 घंटों के भीतर, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देना बंद करवाएँ, पक्ष या विपक्ष में पड़े कुल वोट की समेकित संवीक्षक रिपोर्ट, यदि कोई हो, उनके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या अध्यक्ष हो, जो उसपर प्रति हस्ताक्षर करेगा। रिमोट ई-वोटिंग का परिणाम, ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग का परिणाम के साथ बैंक द्वारा अपने वेबसाइट पर घोषणा करेगा और स्टॉक स्वसर्चेंज को भी सूचित करेगा।

व्याख्यात्मक विवरण

निदेशकों का चयन:

आपके बैंक ने केन्द्र सरकार के निदेशकों के आलावा शेयरधारकों में से एक निदेशक यानि श्री नवीन प्रकाश सिन्हा को दिनांक 29 जनवरी 2021 को तीन वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित किया। उपर्युक्त शेयरधारक निदेशक ने निजी कारणों के चलते दिनांक 07 अक्टूबर 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि बैंक के कुल प्रदत्त पूँजी में से बैंक के सार्वजनिक शेयर धारण को 16% से कम है, बैंक सिर्फ एक शेयर धारक निदेशक निर्वाचित करने का हकदार है। 08 अक्टूबर 2022 को रिक्त हुए इस पद को भरने के लिए आपका बैंक 15 दिसंबर 2022 को प्रस्तावित असाधारण सामान्य बैठक में चुनाव आयोजित करवाकर एक शेयरधारक निदेशक को निर्वाचित करने का प्रस्ताव रखता है।

शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) केन्द्र सरकार के विभिन्न और प्रासंगिक अधिनियम / योजना / विनियमनों / अधिसूचना / निर्देशों में दी गई प्रक्रिया के वितरण, प्रासंगिक उद्घरणों / अंशों के अनुसार जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है अपना नामांकन भेजने के लिए अधिकृत है। एक निदेशक का चयन या तो शेयरधारक जो नामांक प्रस्तुत करेंगे उसकी जाँच और बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उनके सुयोग्य एवं समुचित होने का निर्धारण करने के बाद या उसके बाद असाधारण सामान्य बैठक में चुनाव से किया जाएगा। माना जाएगा कि इस प्रकार चयनित निदेशक 20 दिसम्बर 2022 से पदभार ग्रहण करेंगे और कार्यग्रहण करने की ऐसी तिथि से तीन वर्ष की अवधि दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 तक पद पर रहेंगे।

विधिक प्रावधान:

निम्नलिखित टेबल इस संबंध में लागू प्रावधानों को दर्शाता है जो विभिन्न अधिनियमों / विनियम अधिनियम / योजना / विनियमनों / अधिसूचनाओं में दिए गए हैं:

अधिनियम / योजना / विनियमन / अधिसूचना / निदेश	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949	धारा 5 (एन-ई) धारा 16(1) धारा 20 धारा 51	➤ पर्याप्त हित ➤ समान निदेशकों की मनाही ➤ अपने किसी भी निदेशक की ओर से या निदेशक की अग्रिम या ऋण स्वीकृत करने पर रोक ➤ नई संवाददाता बैंक पर अधिनियम की कुछ धाराओं का लागू होना
बैंकिंग कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण अधिनियम 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3) (आइ) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9 (3एए) धारा 9 (3एबी) धारा 9 (3बी) धारा 13(2)	➤ वोटिंग अधिकारों पर पाबंदी ➤ शेयरधारकों द्वारा चयन किए जाने वाले निदेशकों की संख्या ➤ कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ➤ कोई भी व्यक्ति निदेशक के तौर पर चुने जाने का पात्र नहीं होगा यदि उस व्यक्ति पास अपने ट्रैक रिकार्ड, नैतिकता और भारतीय रिज़र्व बैंक जैसा निर्धारित करे उन मानदंडों के आधार पर सुयोग्य एवं समुचित स्टेटस नहीं है। ➤ इस प्रकार चयनित निदेशक को हटाने का भारतीय रिज़र्व बैंक का अधिकार जो कथित अधिनियम की धारा 9 (3ए) एवं 9 (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं। ➤ निष्ठा एवं गोपनीयता के प्रति जिम्मेदारी
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	उपबंध 9(4) उपबंध 10 उपबंध 11 उपबंध 11ए उपबंध 11 बी उपबंध 12(8)	➤ चयनित निदेशकों का कार्यकाल ➤ बैंक के निदेशक के तौर पर चयन के लिए अयोग्य ➤ निदेशक का पदभार रिक्त करने ➤ चयनित निदेशक को पदभार से हटाने ➤ चयनित निदेशक पद की आकस्मिक रिक्ति को भरना ➤ निदेशक द्वारा कुछ प्रबंधों में रुचि जाहिर करना जिसमें उन्हें रुचि है।
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2003 (2008 तक संशोधित)	विनियम 10 विनियम 61 विनियम 63 विनियम 64	➤ संयुक्त धारकों द्वारा अधिकारों का प्रयोग ➤ सामान्य बैठकों में वोटिंग ➤ सामान्य बैठकों में निदेशकों का

	विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	चयन होगा ➤ शेयरधारकों की सूची ➤ चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन ➤ नामांकन की जांच ➤ चुनावी विवाद ➤ वोटिंग अधिकारों का निर्धारण ➤ विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा वोटिंग
आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर निर्देश डीबीआर/एपीपीटी सं.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांकित अगस्त 02, 2019	बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों के अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3एए) एवं 9 (3 एबी) के अनुसरण में	राष्ट्रीय बैंकों के बोर्ड में मौजूद चयनित निर्देशकों के लिए सुयोग्य एवं समुचित की शर्तें
वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी संदर्भ एफ सं. 16/83/2013-बीओ. आइ के जरिए पत्र दिनांकित 03 सितम्बर, 2013 एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांकित मार्च 25, 2015 एवं जुलाई 20, 2016 एवं आगामी संशोधनों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर कार्यालयी निदेशक के लिए है		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर कार्यालयी निदेशक (एनओडी) के रूप में विचार करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा मानदंड निर्धारित किए गए हैं।
आरबीआई मास्टर परिपत्र डीबीओडी संख्या निदेशक बीसी. 10/13.03.00/2015-16 दिनांकित जुलाई 1, 2015		निदेशकों के संबंधियों को ऋण एवं अग्रिमों की मंजूरी
आरबीआई की अधिसूचना डीबीआर.एपीपीटी.बीसी सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांकित नवम्बर 24, 2016		बैंकिंग कंपनियों अथवा उपयोग हेतु विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक ज्ञान

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना / विनियम के साथ आरबीआई की अधिसूचना संख्या आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर/एपीपीटी सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांकित अगस्त 2, 2019, भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांकित 25 मार्च, 2015 एवं जुलाई 20, 2016, आरबीआई की अधिसूचना डीबीआर.एपीपीटी.बीसी सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांकित नवम्बर 24, 2016, को हमारे बैंक की वेबसाइट www.iob.co.in पर प्रदर्शित किए जाएंगे। नामानामांकन फार्म की प्रस्तुति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि यानि बुधवार, 30 नवम्बर, 2022 को या उससे पहले कंपनी सचिव (निवेशक संबंध कक्ष), केन्द्रीय कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002 पते पर लिखित आग्रह की प्राप्ति पर इच्छुक उम्मीदवार को यह उद्घरण ई-मेल भी किए जाएंगे।

चुनाव में सहभागिता:

ऐसे शेयरधारक जिनका नाम रिकार्ड तिथि यानि गुरुवार, 10 नवम्बर, 2022 को शेयरधारकों की पंजी में होगा / एनएसडीएल / सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत हितधारक में होगा। वे केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चुने जाने वाले निदेशकों के चुनाव में सहभागिता यानि नामांकन करने, चुनाव लड़ने और वोट डालने के लिए पात्र होंगे।

बैंक के निदेशक के रूप में चयन के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता:

धारा 9(3ए) के शर्तों के अनुसार, एक उम्मीदवार, जो बैंक का शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9(3) (आइ) के अंतर्गत निदेशक के तौर पर चयनित होने का इच्छुक है, उसके पास

➤ निम्नवत में से किसी एक या उससे अधिक में कार्य करने का व्यावहारिक अनुभव या विशेष ज्ञान होना चाहिए:

- कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- बैंकिंग
- सहयोग
- अर्थशास्त्र
- वित्त
- कानून
- लघु उद्योग

भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में किसी अन्य क्षेत्र में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो बैंक के लिए उपयोगी होगा।

आरबीआई की परिपत्र सं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांकित नवम्बर 24, 2016 के अनुसार निम्नवत को विशेषीकृत क्षेत्रों के रूप में समावेशित किया गया है :

- 1) सूचना प्रौद्योगिकी
- 2) भुगतान एवं निपटान पद्धति
- 3) मानव संसाधन
- 4) जोखिम प्रबंधन
- 5) कारोबारी प्रबंधन

बैंकों में निदेशक की नियुक्ति के लिए ऐसे व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा।

- जो जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता है ; या
- किसानों, कर्मचारियों व कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता है।

अधिनियम की धारा 9 (3ए) और आरबीआई अधिसूचना के अनुसार, वे उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक रहते हुए बैंक का निदेशक बनना चाहते हैं, उनके पास 'सुयोग्य एवं समुचित' स्टेटस होनी चाहिए।

आगे, चयनित निदेशक को लिखित वचन का विलेख कार्यान्वित करना होगा और इस संबंध में आरबीआई द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

बैंक के निदेशक के तौर पर नहीं चुने जाने संबंधी अयोग्यताएँ

योजना के उपबंध 10 के अनुसार, कोई व्यक्ति बैंक के निदेशक के तौर पर नियुक्ति या उसके लिए अपात्र करार किया जाएगा:

- यदि उसे किसी भी समय न्यायिक निर्णय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो या भुगतान में देरी की हो या अपने उधारकर्ताओं के साथ विवाद किया हो ; या
- यदि यह पाया जाता है कि मानसिक रूप से सही नहीं और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो ; या
- यदि किसी अपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी करार किया जा चुका हो नैतिक अधमता से जुड़ा हो ; या
- अधिनियम की धारा 9 के उपखंड (3) के उपबंध (ई) व (एफ) के अंतर्गत नमांकित निदेशक और प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक का पदभार संभालने के अलावा यदि वह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया अधिनियम की धारा 3 के उपखंड (1) के अंतर्गत गठित स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (सब्सिडियरी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के अंतर्गत परिभषित सब्सिडियरी बैंक में लाभ के पद पर हो और

- बैंक के बोर्ड की नामांकन व पारिश्रमिक समिति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में गैर कार्यालयी निदेशक के रूप में चयन पर विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों एवं आरबीआई की अधिसूचना सं. आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर/एपीपीटी सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांकित अगस्त 2, 2019 का संदर्भ लेते हुए, यदि वह सुयोग्य व समुचित नहीं पाया जाता है।

शेयरधारकों की सूची:

जैसा कि विनियमन के विनियम 64 में दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक यानि सीडी या ऐसे किसी अन्य मीडिया के रूप में शेयरधारकों की सूची की एक प्रति मंगलवार, 22 नवम्बर, 2022 से कंपनी सचिव (निवेशक संबंध कक्ष), तुलन पत्र प्रबंधन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 763 अण्णा सालै, चेन्नै : 600 002 स्थित बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में शेयरधारकों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध होगी, जिसके लिए रु. 50,000/- (रुपए पचास हजार) का भुगतान कर सहित "इण्डियन ओवरसीज़ बैंक" के पक्ष में देय मांग ड्राफ्ट / भुगतान आदेश द्वारा करना होगा। उक्त सूची खरीदने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को एक शपथपत्र देना होगा कि सूची का उपयोग चुनाव के लिए प्रचार में किया जाएगा न कि अन्य किसी और उद्देश्य के लिए किया जाएगा चाहे वो जो भी हो।

प्रतिभागियों को शेयरधारकों के रजिस्टर से किसी अंश का विवरण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से शेयरधारकों का रजिस्टर निरीक्षण हेतु 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 002 में स्थित बैंक के केन्द्रीय कार्यालय में हर कार्यदिवस (रविवार तथा बैंक की छुट्टियों के अलावा) सुबह 11 बजे से सायं 4 बजे तक खुला रहेगा। कोविड महामारी की स्थिति के कारण, वे शेयरधारक जो शेयरधारकों की पंजी का निरीक्षण करने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें बैंक के कंपनी सचिव को ई-मेल investor@iobnet.co.in और टेलिफोन 044 – 2841 5702 पर निरीक्षण के लिए कम से कम एक कार्यदिवस के पहले सूचित करना आवश्यक है। जो व्यक्ति बैंक का निरीक्षण के लिए आएंगे उनका स्वास्थ्य जाँच किया जाएगा, जो बैंक प्रबंधन द्वारा निर्धारित हो।

यदि कोई शेयरधारक इसकी आंशिक सूचना की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट चाहता है तो उसे रु. 10 प्रति 1,000 शब्द या कॉपी किए जाने वाले आंशिक हिस्से की दर से भुगतान के पश्चात इसकी आपूर्ति की जाएगी।

चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन:

विनियमन के विनियम 65 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर/एपीपीटी सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांकित अगस्त 2, 2019 एवं वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र दिनांकित 3 सितम्बर, 2020 की संदर्भ एफ सं. 16/83/2013-बीओ.आई एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एनओडी के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक मार्च 25, 2015 एवं जुलाई 20, 2016 (भारत सरकार दिशानिर्देश) को जारी निर्धारित मानदंड एवं अन्य लागू विभिन्न अधिनियमों का प्रावधान के आधार पर चुनाव के लिए उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध होगा, जब

- निर्वाचन में भाग लेने हेतु **रिकार्ड तिथि गुरुवार, 10 नवंबर, 2022, को बैंक के शेयरधारक के रूप में उसके पास बैंक का न्यूनतम 100 शेयर हो**, तथा बैठक की तारीख तक अथवा चुने जाने पर अपनी कार्यावधि की समाप्ति तक कम से कम 100 शेयर अवश्य हो।
- उसे अधिनियम / योजना / विनियमन / भारतीय रिज़र्व बैंक / भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यानि गुरुवार, 30 नवम्बर, 2022 को निदेशक के रूप में निर्वाचन के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो।
- उनके द्वारा धारित शेयरों के संबंध में कॉल में कोई बकाया न हो।
- नामांकन इस अधिनियम के अधीन निदेशकों के चुनने का हक रखने वाले कम से 100 शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत संचालित अटार्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में हो, परंतु यह कि कोई शेयरधारक, जो एक कंपनी हो, कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकेगा और जहाँ ऐसा किया जाता है वहाँ जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में सत्यापित कर **महा प्रबन्धक एवं सीएफओ (निवेशक संबंध), तुलनपत्र प्रबंधन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, 763, अण्णा सालै, चेन्नै – 600 002** को प्रेषित किया जाएगा और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।

- ड) नामांकन में या उसके साथ उम्मीदवार द्वारा किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप – रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित एक इस आशय का घोषणा पत्र हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़े होने का इच्छुक है और यह कि उसे अधिनियम या योजना के तहत या इन विनियमों या भारत सरकार के लागू दिशानिर्देशों के तहत निदेश बनने के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया है। उम्मीदवार से यह भी अपेक्षित है कि वह संलग्न प्रपत्र (बायो डाटा) में अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करें और उसपर अपने पूर्ण हस्ताक्षर करें, जिसमें इस आशय की पुष्टि होगी कि दिए गए विवरण उसकी जानकारी एवं विश्वास में पूरी तरह से सही है और वह इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध है कि घोषणा के पश्चात संभावित उन सभी घटनाओं से बैंक को पूरी तरह अवगत कराता रहेगा जो दी गई जानकारी से जुड़ी होंगी।
- च) नामांकन प्रपत्र तथा घोषणा प्रपत्र विनियमन द्वारा निर्धारित हों तथा अनुबंध में दिए गए प्रारूप के अनुसार हो। (प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.iob.in पर भी उपलब्ध है।)
- छ) विनियमन अधिनियम या योजना के अधिनियम या विनियमन के अंतर्गत एवं आरबीआई की अधिसूचना आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71, मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर/एपीपीटी सं. 9/29.67.001/2019-20 दिनांकित अगस्त 2, 2019 और भारत सरकार दिशानिर्देश दिनांकित 25.03.2015, 20.06.2016 और कोई संशोधन हुआ हो जो गैर कार्यालयी निदेशक के लिए लागू हो वह निदेशक के रूप में चयनित हुए हो, वह हटाया नहीं गया हो।

नामांकन फ़ार्मों की प्रस्तुति:

केन्द्र सरकार के अलावा शेयर धारकों में से बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेने के इच्छुक शेयर धारकों को निम्नलिखित प्रस्तुत करना होगा:

- क) विधिवत भरा गया घोषणा पत्र
- ख) चुनाव में भाग लेने योग्य कम से कम 100 शेयरधारकों का नामांकन
- ग) बायोडाटा शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र आदि की स्वहस्ताक्षरित प्रतियों जैसे संबंधित दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों के साथ नोटिस के अनुबंध में दिए गए प्रारूप में वैयक्तिक जानकारी, घोषणा व वचन पत्र एक अलग मोहरबंद लिफाफे में, जिसपर “शेयरधारक निदेशक के लिए नामांकन” अंकित हो, महाप्रबन्धक एवं सीएफओ, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, निवेशक संबंध कक्ष, तुलनपत्र प्रबन्धन विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, 763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002 को असाधारण सामान्य बैठक के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम 14 दिन पहले अर्थात् बुधवार, 30 नवम्बर, 2022 सायं 5 बजे से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
- घ) उक्त नामांकन प्रपत्र तथा अन्य दस्तावेज सभी तरह से पूरी होनी चाहिए, जिसके अभाव में नामांकन अवीकृत कर दी जाएगी।

नामांकनों तथा निदेशकों के चुनाव की जाँच:

- क) नामांकनों की जांच एवं नामांकनों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के परवर्ती प्रथम कार्यदिवस यानि कि गुरुवार, 01 दिसंबर 2022, को की जाएगी और यदि कोई नामांकन को वैध होना पाया नहीं जाता है तो इसके लिए कारणों को अभिलिखित करने के बाद उसे अस्वीकार किया जाएगा।
- ख) आरबीआई की अधिसूचना / भारत सरकार की दिशानिर्देश के संदर्भ में, बोर्ड की पारिश्रमिक समिति एवं नामांकन द्वारा वैध नामांकनों का भी जांच किया जाएगा। आरबीआई की अधिसूचना व भारत सरकार की दिशानिर्देश द्वारा लगाये गए प्रतिबंध एक जैसे हैं, बैंक ग्राहकों को सुयोग्य व समुचित स्टेटस प्रदान करने के दौरान उन दोनों का सख्ती से पालन करें।
- ग) संवीक्षा के समय बैंक बोर्ड की नामांकन समिति के द्वारा अभ्यर्थियों से उनकी अभ्यर्थिता के समर्थन में अतिरिक्त सूचना, दस्तावेज मांगे जा सकते हैं।
- घ) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए सिर्फ एक वैध नामांकन प्राप्त होता है तो नामित उम्मीदवार को उसी समय निर्वाचित माना जाएगा और उनके नाम और डाक पत्तों को निर्वाचित के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में असाधारण सामान्य बैठक रद्द हो जाएगी। नए चुने गए निदेशक 20 दिसम्बर 2022 को कार्यभार ग्रहण करेंगे।
- ड) एक से अधिक वैध नामांकन होने पर उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे। चुनाव आयोजित किया जाएगा था अधिक वोट प्राप्त उम्मीदवारों को निर्वाचित माना जाएगा तथा उनके नाम की

घोषणा बैठक के अध्यक्ष द्वारा संवीक्षकों की रिपोर्ट के बाद की जाएगी और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किया जाएगा ।

15 दिसम्बर 2022 को मतदान प्रक्रिया

ई-वोटिंग के माध्यम से निदेशक के निर्वाचन के लिए वोटिंग होगी एवं बैठक के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में बनाए गए घोषणा के तत्काल बाद शुरू होगी और 12.30 बजे तक जारी रहेगी । उनके द्वारा बुधवार, 10 नवंबर 2022 तक रखे गए शेयरों के संख्या के बराबर वोट की संख्या होगी ।

उसके बाद वोट की तालिका बनायी जाएगी और बैठक के अध्यक्ष या उनके ओर से कोई भी बैंक का प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा परिणाम घोषित की जाएगी और समाचार पत्र एवं बैंक के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित की जाएगी ।

ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए आप उसी व्यक्ति से संपर्क करें, जिनसे रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया जाता है ।

चुनाव की पूरी प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त रिटर्निंग अधिकारी, बैंक द्वारा उक्त हेतु नियुक्त एक स्वतंत्र परामर्शदाता (जांचकर्ता) द्वारा केन्द्रीय सरकारी नामिती की निगरानी में पूरी की जाएगी ।

संवीक्षक ईजीएम में वोटिंग के निष्कर्ष के बाद सबसे पहले बैठक में डाले गए वोटों की गणना करेगा एवं उसके बाद दो गवाह जो बैंक के कर्मचारी नहीं होंगे की उपस्थिति में रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा डाले गए वोटों को खोलेगा । संवीक्षक कुल डाले गए वोटों पर एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट को ईजीएम के 48 घंटों के अंदर बैठक के अध्यक्ष को या उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए ऐसे व्यक्ति को जिसे कि लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया हो सबमिट करेगा एवं वह इसे प्रति हस्ताक्षरित करेगा तथा वोटिंग के परिणामों को घोषित करेगा ।

परिणामों को संवीक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट www.iob.in एवं सीडीएसएल की वेबसाइट पर अध्यक्ष द्वारा परिणामों को घोषित करने के बाद प्रदर्शित किया जाएगा और उसे स्टॉक एक्सचेंज को भी सूचित की जाएगी ।

नामांकन वापस लेना:

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहे, तो वह शुक्रवार, 09 दिसंबर 2022, को बैंक की कार्य समाप्ति यानि सायं 5.00 बजे से पूर्व कभी भी एक पत्र या फैक्स भेजकर ऐसा कर सकता है ।

विवाद:

किसी भी विवाद की स्थितियों में उसका निपटान विनियमनों के विनियम 67 के अनुसार किया जाएगा ।

सार:

शेयरधारकों के लाभ हेतु प्रभावी अधिनियम / योजना / विनियमन / अधिसूचना / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के महत्वपूर्ण हिस्सों का सार अनुबंध में दिया गया है ।

निदेशकों का हित:

बैंक का कोई भी निदेशक एवं पात्र विद्यमान शेयरधारक निदेशक जो कि चुनाव में भाग ले सकते हैं अपनी शेयरधारिता की सीमा के अलावा कारोबार की पूर्व कथित मद में संबंधित या इच्छुक नहीं है ।

निदेशक मंडल के आदेश
कृते इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 08.11.2022

निदेशकों के चुनाव-महत्वपूर्ण अधिनियमों, योजनाओं तथा विनियमों आदि का सार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (i) के अनुसार अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2 बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी की मात्रा के आधार पर शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति करनी होगी।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) 1970 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 तथा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2003, जो कि इस संबंध में वर्ष 2008 तक यथासंशोधित हैं, की संबंधित धाराओं एवं विनियमों को शेयरधारकों के सूचनार्थ नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

धारा 5(एन-ई)पर्याप्त हित

- (i) कंपनी के संबंध में, पर्याप्त हित का अभिप्राय है, किसी व्यक्ति या उसके पति, पत्नी या अवयस्क बच्चे द्वारा अकेले या साथ में धारित लाभकारी हित, जिस पर प्रदत्त राशि रु. पांच लाख से अधिक हो या कंपनी की प्रदत्त पूंजी का दस प्रतिशत, जो भी कम हो।
- (ii) संस्था के संबंध में, पर्याप्त हित का अभिप्राय है, किसी व्यक्ति या उसके पति, पत्नी या अवयस्क बच्चे द्वारा अकेले या साथ में धारित लाभकारी हित, जो उक्त संस्था के सभी साझेदारों द्वारा अभिदत्त पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक को व्यक्त करे।

सामान्य निदेशकों का निषेध-धारा 16(1) भारत की किसी भी बैंकिंग कंपनी के निदेशक मंडल में कोई ऐसा व्यक्ति निदेशक नहीं होगा जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो।

ऋण और अग्रिमों पर प्रतिबंध :धारा 20 :

- 1. कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी बैंकिंग कंपनी क) अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी अथवा ख) निम्नलिखितों को या उनकी ओर से न तो किसी प्रकार के ऋण या अग्रिम प्रदान करेगी और न ही वचनबद्धता करेगी।

i) अपने किसी निदेशक

ii) किसी भी फर्म जिसमें उनका कोई निदेशक, साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता के रूप में हित रखता हो, या

iii) कोई ऐसी कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी न हो या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या सरकारी कंपनी हो जिसमें या जिसकी अनुषंगी या जिसकी धारक कंपनी में बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता हो या जिसमें यह पर्याप्त रूप में हितबद्ध हो, अथवा

iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिससे उसका कोई निदेशक साझेदार या गारंटीकर्ता के रूप में हितबद्ध हो।

2. अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था उस तिथि को उपधारा (1) के खण्ड (बी) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) के आरंभ होने के उपरांत किन्तु ऐसे प्रारंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर किया गया हो तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सहित ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अवधि के भीतर या जहां ऐसी कोई अवधि निर्धारित की गई हो वहां उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व, वसूली हेतु उपाय किये जाने चाहिए।

बशर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किये गये लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अवधि को ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अवधि की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगा जिन्हें रिज़र्व बैंक उचित समझे।

बशर्ते कि यह उपधारा संबंधित निदेशक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त करने पर लागू नहीं होगी।

- 3) उप धारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण अमान्य एवं अप्रभावी होगा।
- 4) जहां उप धारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग को चुकौती न किये जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को बैंकिंग कंपनी का निदेशक होने के स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे उसने उक्त तिथि को अपना पद रिक्त कर दिया हो।

व्याख्या - इस धारा में

- क) "ऋण या अग्रिम" में कोई भी ऐसा लेन-देन शामिल नहीं होगा जिसे रिज़र्व बैंक लेन-देन के स्वरूप, उक्त लेन-देन के कारण देय होने वाली किसी भी रकम की वसूली के संभाव्य समय एवं उसकी विधि तथा परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उल्लेख कर सकें।
- ख) निदेशक से तात्पर्य है, प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन हेतु सभी या उसके किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मंडल या समिति का सदस्य।
- 5) अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि कोई लेन-देन ऋण है या अग्रिम है, तो इस धारा के प्रयोजन से मामला भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और इस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

संबंधित नई बैंक धारा 51 के लिए अधिनियम की कुछ धाराओं की प्रयोज्यता

- (1) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) या कोई अन्य अधिनियमन के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना धारा 30, 31, 34, 35, 35ए, 36 [उप धारा (1) के खण्ड (डी) को छोड़कर] की उप धारा (3) 29ए, उप धारा (1बी), (1सी) और (2) को छोड़कर धारा 10, 13 से 15, 17, 19 से 21ए, 23 से 28, 29 के प्रावधान 45वाइ से 45जेडएफ़, 46 से 48, 50, 52 और 53 भी लागू होंगे; जहाँ भारतीय स्टेट बैंक या किसी तत्संबंधी नये बैंक या किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या किसी अनुषंगी बैंक के लिए, जैसा कि बैंकिंग कंपनियों के लिए ये लागू होते हैं, वैसे ही लागू होंगे।

बशर्ते कि -

- (क) धारा 10 की उप धारा (1) के खण्ड (सी) में निहित कुछ भी भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष या किसी अनुषंगी बैंक के प्रबंध निदेशक के लिए लागू नहीं होगा क्योंकि कथित खण्ड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित किसी संस्था में उनके द्वारा निदेशक पद पर रहने या कोई पदभार संभालने को प्रतिबाधित करता है।
- (ख) धारा 20 की उप धारा (i) के खण्ड (बी) के उप खण्ड (iii) में निहित कुछ भी उप धारा (1) में संदर्भित किसी भी बैंक के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि कथित खण्ड (बी) के उप खण्ड (iii) के अनुसार संदर्भित बैंक उस कंपनी (जो कि सरकारी कंपनी नहीं है) को या उसकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम प्रदत्त करने के लिए किसी प्रतिबद्धता में शामिल नहीं होगा, जिसमें केन्द्र सरकार या रिज़र्व बैंक या संबंधित बैंक के स्वामित्व वाले किसी निगम द्वारा धारित की गई प्रदत्त पूँजी (एकल रूप से या संयुक्त रूप से) चालीस प्रतिशत से कम न हो।
- (ग) धारा 46 या धारा 47ए में निहित कुछ भी -
- (i) केन्द्र सरकार या रिज़र्व बैंक के उस अधिकारी के लिए लागू नहीं होगा जो भारतीय स्टेट बैंक या किसी तत्संबंधी नये बैंक या किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या किसी अनुषंगी बैंक या किसी बैंकिंग कंपनी के निदेशक के रूप में नामित या नियुक्त किया गया हो या
- (ii) भारतीय स्टेट बैंक या किसी तत्संबंधी नये बैंक या किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या किसी अनुषंगी बैंक के उस अधिकारी को जो उक्त बैंकों (वह बैंक नहीं, जिसमें वह अधिकारी है) में से किसी बैंक या किसी बैंकिंग कंपनी के निदेशक के रूप में नामित या नियुक्त किया गया हो।

2. उप धारा (1) में संदर्भित इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान से संबंधित किसी नियम या निर्देश में बैंकिंग कंपनी के संदर्भ से तात्पर्य है भारतीय स्टेट बैंक, तत्संबंधी नया बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुषंगी बैंक, केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ नियम या निर्देश अन्यथा बताते हों।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970

मताधिकार पर प्रतिबंध

धारा 3(2ई) : केंद्र सरकार को छोड़कर नए बैंक का कोई भी शेयरधारक उक्त समनुरूपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार का 10% से अधिक उनके द्वारा धारित किसी शेयर के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

निदेशक मण्डल का गठन

धारा 9(3)(i) : जहां धारा 3 की उप धारा (2 ख) के खण्ड(ग) के अंतर्गत निर्गमित पूंजी

क) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो एक निदेशक

ख) कुल प्रदत्त पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु बत्तीस प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, तो दो निदेशकों

ग) कुल प्रदत्त पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है तो तीन निदेशकों का चुनाव केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयरधारकों द्वारा अपनों में से किया जाना है ।

बशर्ते इस धारा के तहत ऐसे किन्हीं निदेशकों के निर्वाचन के उपरांत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण कर लेने पर खण्ड (एच) के अंतर्गत जितने निदेशक नामांकित हैं उतने निदेशक उक्त योजना में यथानिर्दिष्ट तरीके से सेवानिवृत्त होंगे।

यह भी शर्त है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम तथा वित्तीय संस्थानों के नियम (संशोधन) अधिनियम, 2006 के आरंभ पर या उससे पूर्व सट्टा नए बैंक में चुने गए निदेशकों की संख्या उपखंड (1) या उपखंड 2) या उपखंड (3) में निर्दिष्ट संख्या, जैसा भी मामला हो, से अधिक होने पर ऐसी शुरुआत से पूर्व चुने गए निदेशकों की ऐसी अतिरिक्त संख्या योजना में निर्दिष्ट रूप से सेवा निवृत्त होंगे तथा ऐसे निदेशक अपने कार्यकाल से समयपूर्व सेवानिवृत्ति हेतु किसी मुवावजे का दावा करने के हकदार नहीं होंगे।

धारा 9(3ए) : उपधारा 3 के खण्ड (i) के अंतर्गत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक :

(A) निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, अर्थात् -

(B) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

(C) बैंकिंग

(D) सहयोग

(E) अर्थशास्त्र

(F) वित्त

(G) कानून

(H) लघु उद्योग

(I) कोई अन्य मामला जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो, जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो ।

आरबीआई ने अपनी अधिसूचना डीबीआर एपीपीटी बी सी सं 38/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2016 के जरिए अधिसूचित किया है कि 1- सूचना प्रौद्योगिकी 2- भुगतान व निपटान प्रणालियों 3- मानव संसाधन 4- जोखिम प्रबंधन व 5- कारोबार प्रबंधन में विशिष्ट जानकारी या व्यावहारिक अनुभव नए बैंक के लिए उपयोगी हो सकता है ।

ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करेंगे, या

ग) किसानों, कामगारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

धारा 9(3एए): धारा (3ए) के प्रावधानों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह और इस अधिनियम में उल्लिखित किसी भी नियम के विपरित या निवर्तमान में प्रभावी किसी भी कानून के विपरित न होते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, उपधारा 3 खण्ड 1 के तहत तब तक निदेशक चुने जाने का पात्र नहीं हो सकता जब तक कि वह अपने ट्रेकरिकार्ड, विश्वसनीयता और इस प्रकार के अन्य मानदंडों जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक इस संदर्भ में समय - समय पर अधिसूचित करता रहता है, को पूरा न करता हो।

धारा 9 (3एबी): भारतीय रिज़र्व बैंक उप धारा 3(ए) के तहत जारी की जाने वाली अधिसूचना में 'सुयोग्य एवं समुचित' हैसियत का निर्धारण करने के प्राधिकार, इस तरह के निर्धारण की पद्धति, इस तरह के निर्धारणों के पालन के लिए अपनायी जानेवाली प्रक्रिया और ऐसे अन्य मामले जिन्हें वांछित व संबंधित समझा जाता हो, को विनिर्दिष्ट करेगा।

धारा 9(3बी) : जहाँ रिज़र्व बैंक की राय में समनुरूपी नए बैंक की उपधारा (3) के खण्ड (i) के अंतर्गत निर्वाचित कोई निदेशक उप धारा (3ए) और (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है तो वह, ऐसे निदेशक तथा बैंक को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक को हटा सकता है और इस प्रकार हटाए जाने पर निदेशक मंडल उप धारा (3 ए) और (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को, उक्त समनुरूपी नए बैंक के शेयर धारकों की अगली वार्षिक सामान्य बैठक में किसी निदेशक को निर्वाचित होने तक ऐसे हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में सहयोजित करेगा और यह मान लिया जाएगा कि ऐसा सहयोजित व्यक्ति उक्त समनुरूपी नए बैंक के शेयरधारकों द्वारा निदेशक के रूप में विधिवत् निर्वाचित है।

निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व

धारा 13(2) : प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या समनुरूपी नए बैंक के लेखा परीक्षक, सलाहकारी, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेगा।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970

खण्ड 9 : निर्वाचित निदेशकों का सेवाकाल

खण्ड 9(4)

निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए और तदुपरांत उनके उत्तराधिकारी का विधिवत निर्वाचन होने तक पद पर रहेगा और पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। बशर्ते ऐसा कोई भी निदेशक लगातार छः वर्ष से अधिक अवधि के लिए पदधारित नहीं करेगा।

खण्ड 10: बैंक के निदेशक के रूप में चुनाव हेतु अयोग्यता

किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनाये जाते समय अयोग्य ठहराया जाएगा :

क) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोके रखा या प्रशमन किया हो, या

ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बाबत घोषणा की हो, या

ग) यदि किसी नैतिक चरित्रहीनता से जुड़े अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो, या

घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता है किन्तु अपवादस्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के (इ) व (एफ) खंडों के अंतर्गत संबंधित नये बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है?

खण्ड 11 निदेशक के पद का रिक्त होना

1. यदि कोई निदेशक धारा 10 में विनिर्दिष्ट किन्हीं निर्हताओं के अधीन आ जाता है या बोर्ड से अनुमति लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो जाएगा।
2. अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) खण्ड(बी) या खण्ड(सी) या खण्ड(डी) में संदर्भित अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक निदेशक सहित प्रबंध निदेशक अथवा निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्याग पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि यह पद रिक्त हो गया है, और कोई अन्य निदेशक लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी सूचना प्राप्ति से प्रभावी होगा।
3. उपरोक्त उपखण्डों के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (इ) और (एफ) में संदर्भित निदेशक का कार्यालय, उक्त निदेशक के, उस राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसका वह निदेशक है, के कर्मचारी के अलावा कर्मकार के रूप में सेवानिवृत्त होते ही रिक्त हो जाएगा।
- 4 जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा निदेशक के पद की कोई रिक्ति हो जाती है तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

खण्ड 11 ए निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

केन्द्रीय सरकार को छोड़कर अन्य शेयर धारक ऐसे सभी शेयर धारकों द्वारा धारित कुल शेयर पूंजी का कम से कम आधा भाग धारित करने वाले शेयर धारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड(i) के तहत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

खण्ड 11 बी निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति भरना

1. जहां किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी।
बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि छः महीनों से कम रहने की संभावना है वहां शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है।
2. उप खण्ड(1) के अंतर्गत यथास्थिति निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पदग्रहण करेगा।

खण्ड 12(8) निदेशकों द्वारा हितों की घोषणा

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी ओर से की गई या प्रस्तावित किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध या हित रखने वाला कोई निदेशक संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र मंडल को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाएगी तब तक वह ऐसे संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा करते समय मंडल की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित रहने पर ऐसे संविदा ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते इस उपखण्ड में दी गई कोई भी बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह:

- i. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में यथापरिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित किसी निगम या किसी सरकारी समिति में जिसके साथ या जिसमें उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूंजी का दो प्रतिशत धारित करने वाला शेयरधारक (निदेशक के अलावा) है, या
- ii. राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी या अन्य कर्मचारी यदि यह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (इ) या (एफ) के अधीन नियुक्त निदेशक है।

IV. इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर व बैठकें) विनियम, 2003 (2008 तक संशोधित) **अध्याय II**

विनियम 10 : संयुक्त शेयर धारकों के अधिकारों का प्रयोग

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है तो पंजी में दर्ज प्रथम नामित व्यक्ति को ही लाभांश की प्राप्ति, वोटिंग अधिकार, सर्विस नोटिस और इण्डियन ओवरसीज़ बैंक से संबंधित अन्य कोई मामले, शेयरों का अंतरण मात्र छोड़कर एक मात्र धारक माना जाएगा।

अध्याय - V

निदेशकों का चुनाव

विनियम 63: सामान्य बैठक में चुने जानेवाले निदेशक

- i) एक निदेशक अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (i) के तहत इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की सामान्य बैठक में केंद्रीय सरकार को छोड़कर अपने में से ही रजिस्टर पर दर्ज शेयर धारकों द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।
- ii) जहाँ किसी सामान्य बैठक में निदेशक का चुनाव होने वाला हो, इसकी नोटिस बैठक के आयोजन संबंधी नोटिस में ही शामिल कर ली जाएगी। इस प्रकार की प्रत्येक नोटिस में चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या और रिक्तियों के विवरण, जिसके लिए चुनाव होने वाला हो, भी दिए जाएँगे।

विनियम 64: शेयरधारकों की सूची

- i) इन विनियमों के विनियम 63 के उप-विनियम (i) के अधीन निदेशक के चुनाव हेतु, रजिस्टर पर उन शेयर धारकों की एक सूची तैयार की जाएगी, जिसके द्वारा निदेशक का चुनाव होने वाला है।
- ii) इस सूची में शेयर धारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और विनिर्दिष्ट संख्या, शेयरों को पंजीकृत करने की तारीख और उस बैठक के लिए निर्धारित तारीख जिसमें यह चुनाव होगा, उस बैठक में जितने मतों के लिए वे हकदार होंगे उन मतों की संख्या आदि शामिल होंगे और इस सूची की प्रतियाँ खरीदे जाने हेतु, बैठक के लिए, निर्धारित तारीख से कम-से-कम तीन सप्ताह पहले से निदेशक मंडल या प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर, प्रधान कार्यालय से आवेदन करने पर, उपलब्ध करायी जाएंगी।

विनियम 65: चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

- i) निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध होगा जब
क - वह इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में कम से कम 100 शेयर रखनेवाला एक शेयर धारक हो;

ख- उसे, नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को इस अधिनियम के अधीन या इस योजना के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य न ठहराया गया हो

ग- उसने अपने द्वारा, चाहे अकेले या अन्यो के साथ संयुक्त रूप से धारित बैंक के शेयरों के संबंध में माँग-राशि अदा करने के लिए निश्चित अंतिम तारीख को या उस से पूर्व माँग-राशि अदा कर दी हो ।

घ- नामांकन इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का हक रखनेवाले कम-से-कम सौ शेयर धारकों या उनके द्वारा विधिवत संघटित अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप में हो, परन्तु यह कि कोई शेयर-धारक, जो एक कम्पनी हो, कथित कम्पनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकेगा और जहाँ ऐसा किया जाता है वहाँ जिस बैठक में उक्त संकल्प पारित किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित कर (इण्डियन ओवरसीज़ बैंक) के केंद्रीय कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा ।

च- नामांकन में या उस के साथ उम्मीदवार द्वारा किसी न्यायाधीश, दण्डाधिकारी, आश्वासनों के पंजीयक या उप पंजीयक या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित एक इस आशय का घोषणा पत्र हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़े होने का इच्छुक है और यह कि उसे इस अधिनियम के तहत या इस योजना या इन विनियमों के तहत निदेशक बनने के अयोग्य नहीं ठहराया गया है;

ii) कोई नामांकन तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह हर तरह से पूर्ण सभी संबंधित दस्तावेज सहित (इण्डियन ओवरसीज़ बैंक) केंद्रीय कार्यालय में बैठक के लिए निश्चित तारीख से पूर्व 14 दिनों के अंदर-अंदर किसी कार्य दिवस को प्राप्त नहीं होता ।

विनियम 66: नामांकनों की संवीक्षा

- i) नामांकनों की प्राप्ति की निश्चित तारीख के बाद के प्रथम कार्यदिवस को उनकी संवीक्षा की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसका कारण दर्ज करने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा । यदि चुनाव द्वारा भरे जाने के लिए किसी एक खास रिक्त स्थान के लिए एक ही वैध नामांकन हो तो इस तरह से नामांकित उम्मीदवार को तुरन्त चुन लिया गया मान लिया जाएगा और उसका नाम व पता उसके इस तरह चुन लिये जाने के रूप में प्रकाशित कर दिये जाएँगे । ऐसी हालत में इस प्रयोजन हेतु बुलायी गयी बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक उपर्युक्त चुनाव के प्रयोजन से ही बुलायी गयी हो तो वह रद्द हो जाएगी ।
- ii) चुनाव होने की हालत में यदि वैध नामांकन चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक हो तो जिस उम्मीदवार को अधिकतम मत मिलेंगे उसे निर्वाचित माना जाएगा ।
- iii) वर्तमान रिक्त स्थान भरने के लिए निर्वाचित निदेशक के लिए यह मान लिया जाएगा कि उस ने निर्वाचित होने के दिन से अपना पद-भार ग्रहण कर लिया है ।

विनियम 67: चुनाव संबंधी विवाद

- (i) निर्वाचित माने-गये या घोषित व्यक्ति की योग्यता या अयोग्यता अथवा किसी निदेशक के चुनाव की वैधता के संबंध में यदि कोई संदेह या विवाद उठता है, तो कोई इच्छुक व्यक्ति, जो ऐसे चुनाव में उम्मीदवार या मतदान का हक रखने वाला शेयर धारक हो ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख से 7 दिनों के अंदर-अंदर उसके संबंध में लिखित रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को

सूचना भेज सकता है और ऐसी सूचना में उन आधारों का पूरा ब्योरा प्रस्तुत करेगा, जिनकी वजह से उस चुनाव की वैधता पर संदेह किया हो या विवाद उठाया हो।

- (ii) उप विनियम (i) के तहत सूचना की प्राप्ति पर इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) और (सी) के तहत नामित किन्हीं दो निदेशकों से बनी समिति को संदर्भित करेंगे।
- (iii) उप विनियम (ii) में संदर्भित समिति आवश्यकतानुसार जाँच पड़ताल करेगी और यदि वह पाती है कि चुनाव वैध चुनाव था तो वह चुनाव के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी या, यदि वह पाती है कि चुनाव वैध चुनाव नहीं था, तो वह जाँच-पड़ताल शुरू करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर-अंदर फिर से चुनाव कराने सहित ऐसा आदेश तैयार करेगी और ऐसा निर्देश देगी जो समिति को उस परिस्थिति में न्यायसंगत प्रतीत हो।
- (iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति के आदेश और निर्देश अंतिम होंगे।

अध्याय - VI

शेयर धारकों के मतदान अधिकार

विनियम 68: मतदान अधिकारों का निर्णय

- i) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित उपबंधों के अधीन प्रत्येक शेयर धारक, जिसका सामान्य बैठक की तारीख से पूर्व रजिस्टर बंद होने की तारीख तक शेयर-धारक के रूप में पंजीकरण हुआ हो, ऐसी बैठक में हाथ दिखा कर एक मत और मतदान होने के मामले में उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत दे सकेगा।
- ii) अधिनियम की धारा 3(2ई) में निहित उपबंधों के अधीन, प्रत्येक शेयर धारक जो कि एक कम्पनी न हो, मतदान पूर्वोक्त रूप में करने का हक रखने वाला प्रत्येक शेयर धारक व्यक्तिगत रूप से या प्राक्सी के जरिए उपस्थित हो या जो एक कम्पनी हो तो विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से या प्राक्सी के माध्यम से उपस्थित हो तो प्रत्येक शेयर धारक हाथ दिखा कर एक मत देने और मतदान होने के मामले में यहाँ ऊपर उप विनियम (i) में बताये अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक मत दे सकेगा।

व्याख्या : इस अध्याय के लिए 'कम्पनी' से आशय कोई निगम निकाय है।

- iv) सामान्य बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने का हक रखनेवाले शेयर धारक उनके बदले में बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए अपने प्राक्सी के रूप में किसी और व्यक्ति को *चाहे शेयर धारक हो या नहीं* नियुक्त करने का हक रखते हैं परंतु इस तरह नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का हक नहीं होगा।

विनियम 69: विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान

- i) ऐसा शेयर धारक, जो केन्द्र सरकार या एक कम्पनी हो, यथास्थिति, संकल्प द्वारा किसी सामान्य बैठक में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अपने किसी पदाधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकता है और इस तरह प्राधिकृत व्यक्ति को (इन विनियमों में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि) के

रूप में संदर्भित) केन्द्र सरकार या कम्पनी, जिसका वह प्रतिनिधित्व करता हो, की तरफ़ से उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने का हक होगा जैसे कि वह इण्डियन ओवरसीज़ बैंक का व्यक्तिगत शेयर-धारक हो। इस तरह दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में ऐसे व्यक्ति केन्द्र सरकार/कम्पनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति तब तक कम्पनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के शेयर धारकों की किसी भी बैठक में भाग नहीं ले सकेगा और मतदान नहीं कर सकेगा जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि

के रूप में नियुक्त करते हुए जिस बैठक में संकल्प पारित किया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रति को सुयोग्य प्रति के रूप में सत्यापित कर उसे बैंक के प्रधान कार्यालय को बैठक के लिए निश्चित तिथि से 4 दिन पहले-पहले प्रेषित नहीं कर दिया जाता।

भारतीय रिज़र्व बैंक के सुयोग्य और समुचित दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9 की उप धारा (3एए) तथा (3एबी) के तहत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में जारी अधिसूचना आरबीआई / डीबीआर/ 2019-20/71 व मास्टर निदेश डीबीआर.एपीपीटी. सं.: 9/29.67.001/2019-20 दिनांकित 02 अगस्त 2019 जिसमें विशेष रूप से बताया गया कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/80 की धारा 9 (3) (i) के प्रावधानों के तहत बैंकों के निदेशक मंडल में निर्वाचित व्यक्ति "सुयोग्य और समुचित" मानदंड पूर्ण करें।

अधिसूचना के मुख्य विशेषताएँ : "सुयोग्य एवं समुचित" स्थिति के निर्णय के लिए प्राधिकारी, प्रविधि / क्रियाविधि आदि निम्नलिखित हैं:

क) प्राधिकार:

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेशक मंडल में से कम से कम तीन सदस्यों की (सभी स्वतंत्र / गैर कार्यपालक निदेशक) "नामांकन समिति" गठित करने की आवश्यकता है। निदेशक मंडल द्वारा इनमें से एक को नामांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष के साथ तीन सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। किसी सदस्य की अनुपस्थिति में निदेशक मंडल आगामी बैठक के लिए उनके स्थान पर किसी भी स्वतंत्र निदेशक को नामित कर सकता है। नामांकन समिति के गठन के समय बोर्ड इसकी कार्याविधि तय कर सकता है।

ख) प्रविधि एवं क्रियाविधि

नामांकन समिति द्वारा उक्त अधिनियम की उपधारा 9(3)(i) के तहत निदेशक के रूप में चुनने हेतु वर्तमान निदेशकों /व्यक्ति की "सुयोग्य और समुचित" स्थिति निर्धारित तय करने हेतु पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। इसके लिए बैंक को वर्तमान चुने हुए निदेशकों / व्यक्तियों से संलग्न (अनुबंध - 1) प्रारूप में आवश्यक जानकारी तथा घोषणा पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए जो चुनाव के लिए नामांकन दर्ज करते हैं। नामांकन समिति उम्मीदवार चुनने के संबंध में नामांकन स्वीकृति की अंतिम तारीख से पहले मिलकर नीचे दिए मानदंडों के अनुसार निर्णय लें कि क्या व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकृत की जानी है या नहीं। समिति की चर्चा की बैठक औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में दर्ज किए जाने चाहिए और यदि मतदान किया गया हो तो उसे भी वर्तमान तथा प्रस्तावित निदेशकों दोनों के संबंध में नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गयी जानकारी के आधार पर नामांकन समिति को उम्मीदवार की स्वीकृति या अन्यथा पर निर्णय लेना चाहिए और जहाँ आवश्यक समझा जाता है वहाँ उपयुक्त प्राधिकारी / व्यक्तियों / संस्थाओं आदि को सूचित आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु कहा जाना चाहिए।

ग) मानदंड

समिति निम्न मानदंडों के आधार पर प्रस्तावित उम्मीदवार की "सुयोग्य व समुचित" स्थिति का निर्धारण करेगी:

(i) **आयु** - मतदान हेतु नामांकन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित कट-ऑफ तिथि को उम्मीदवार की आयु 35 से 67 वर्ष होनी चाहिए।

(ii) **शैक्षणिक योग्यता** - उम्मीदवार कम से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए।

(iii) **अनुभव व विशेषज्ञता क्षेत्र** - उम्मीदवार को बैंकिंग कंपनियों(उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3ए)(ए), जो भी मामला हो, जो कि आरबीआई के परिपत्र डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांकित 24 नवंबर 2016 के साथ पठित है, में वर्णित एक या उससे अधिक मामलों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए।

(iv) **अनर्हता:** राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबन्धन व विविध प्रावधान) योजना 1970/80 के खंड 10 में वर्णित "निदेशकों की अनर्हता" के अतिरिक्त:

क. उम्मीदवार किसी भी बैंक, रिज़र्व बैंक, वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक को धारित करने वाले एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए।

व्याख्या : इस उद्देश्य से उप-पैरा व उप-पैरा (सी) में वर्णित "बैंक" में बैंकिंग कंपनी, संबंधित नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होंगे।

ख. किराए- खरीद, वित्तपोषण, साहूकारी, निवेश, पट्टा उधार व अन्य पैरा बैंकिंग क्रियाकलापों से जुड़े व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चयनित निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यदि वे उन संस्थाओं के प्रबंधकीय नियंत्रक ना हों।

ग. किसी भी व्यक्ति को बैंक के बोर्ड में निर्वाचित / पुनर्निर्वाचित नहीं किया जा सकता यदि उसने किसी बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में कार्य किया है (उस बैंक में जिसमें उसने निदेशक के रूप में कार्य किया है) / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनी किसी भी श्रेणी के तहत छह साल के लिए, चाहे लगातार या रुक-रुक कर।

घ. उम्मीदवार स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय से नहीं जुड़े होने चाहिए।

ङ. उम्मीदवार को संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (जैसे अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) के सदस्यों का पद धारण नहीं करना चाहिए।

च. उम्मीदवार को चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के एक भागीदार के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के स्टेट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर के रूप में कार्यरत हैं।

छ. उम्मीदवार उस चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्यरत नहीं होने चाहिए जो वर्तमान में कार्य कर रहे हैं।

(v) **अवधि** - एक निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारण करेगा और उसके बाद ही पुनः चुनाव के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि किसी भी निदेशक द्वारा छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, निरंतर या रुक-रुक कर, पद धारित नहीं किया गया हो।

(vi) **पेशेवर प्रतिबंध** -

क. उमीदवार का संबंधित बैंक के साथ ना तो कोई कारोबारी संबंध (विधिक सेवाओं, सलाहकारी सेवाओं, इत्यादि सहित) होना चाहिए और ना ही वो किसी ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए जिसकी वजह से उस बैंक के साथ उसका व्यवसायिक टकराव हो।

ख. उम्मीदवार का बैंक या किसी भी गैर-ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के साथ किसी अन्य बैंक का कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होना चाहिए।

बशर्ते कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के समय बैंक के साथ इस तरह के संबंध रखने वाले उम्मीदवार को मद सं. (बी) के तहत आने वाली आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, उम्मीदवार द्वारा समिति

के समक्ष एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसके अनुसार यदि उन्हें निदेशक के रूप में निर्वाचित किया जाता है तो बैंक के साथ उनके संबंध होंगे अगर उन्हें निदेशक के रूप में चुना जाता है, और निर्वाचित होने पर, बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले इस तरह के संबंध स्थापित हो जाते हैं।

(vii) ट्रैक रिकॉर्ड व सत्यनिष्ठा – उम्मीदवार का नाम किसी भी विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/ एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी की प्रतिकूल सूची में नहीं होना चाहिए एवं वो किसी भी ऋणदात्री संस्थान के चूककर्ता न हो।

(डी) बैंक द्वारा निर्वाचित निदेशक से निम्न दस्तावेज़ प्राप्त किए जाने हैं:

क. निदेशक का पदभार ग्रहण करने के पूर्व आरबीआइ के परिपत्र में प्रदत्त प्रारूप में कोवेनेंट डीड।

ख. प्रतिवर्ष 31 मार्च को इस आशय से संबंधित घोषणा प्राप्त करना कि उनके द्वारा पहले से दी गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ग. जहाँ निदेशक द्वारा किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना दी जाती है, वैसी स्थिति में बैंक द्वारा निदेशक से नया अनुबंध 1 प्राप्त किया जाना है जिसमें परिवर्तन का वर्णन किया गया हो।

(ई) साथ ही, परिपत्र यह भी बताता है कि बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 20 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। इसके अतिरिक्त,

क. चुने हुए सीए निदेशक / उसके फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटीकरण, और बैंक के क्रेडिट / निवेश निर्णयों में भाग नहीं लेने सहित सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली रखें। निर्वाचित सीए निदेशक द्वारा स्वयं को अनिवार्य रूप से पूरी प्रक्रिया से अलग रखा जाना है और साथ ही इस आशय के कविनेंट पर हस्ताक्षर किया जाना है।

ख. व्यवसायिक संस्थाओं में अपने हितों और निदेशकों का पूर्ण और उचित प्रकटीकरण करने के लिए निर्वाचित निदेशक की आवश्यकता होती है जहाँ निदेशक व्यक्तिगत रूप से उन निकायों से संबंधित बैंक के क्रेडिट / निवेश संबंधी निर्णय में सहभागिता से खुद को दूर रखता है जिसमें उनकी रुचि है।

ग. ऐसे निदेशक के रूप में कार्यभार से मुक्त होने के पश्चात दो साल की अवधि तक बैंक के निर्वाचित निदेशक को कोई भी प्रोफेशनल कार्य नहीं सौंपा जाना है।

(एफ) जहाँ निर्वाचित निदेशक :

क. निम्न चूक करता है

(i) घोषणा पत्र या कोवेनेंट डीड प्रस्तुत करने में या

(ii) उचित प्रकटीकरण करने में या

(iii) उन क्रेडिट / निवेश संबंधी निर्णय में सहभागिता से बचाव जिनमें वह रुचि रखता हो या

ख. अपूर्ण या गलत प्रकटीकरण किया गया हो या

ग. इस तरह की गतिविधियों में शामिल है जो उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार उसे 'अयोग्य व अनुचित' के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ऐसे निदेशक बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3ए) में प्रदत्त शर्तों / आवश्यकता को पूरा नहीं करते और परिणामों के जिम्मेदार होते हैं।

अंश-कालिक अनधिकारिक निदेशक के चुनाव के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देश: भारत सरकार के दिशानिर्देश दिनांकित 01 जून 2011 जिन्हें भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 03 सितंबर 2013 परिशोधित एमओएफ पत्र सं एफ सं 16/51/2012 बी ओ .1 दिनांकित 28/04/2015 और पत्र सं एफ सं 16/51/2012 बी ओ .1 दिनांकित 20/07/2016 के जरिए लागू किया गया है।

निम्नलिखित मानदंड को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं आदि के बोर्ड में अंश-कालिक अनधिकारिक निदेशकों (एनओडी) के नामांकन के लिए अपनाया जा सकता है।

अनुभव के मानदंड

क) नामांकन संगत अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाएंगे।

ख) कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, कारोबार प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कापरेट विधि, ज़ोखिम प्रबंधन, उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशिष्ट शैक्षिक प्रशिक्षण या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले उत्कृष्ट व्यक्तियों पर सामान्यतः विचार किया जाएगा। किसी वरिष्ठ पद पर उद्योग के 20 वर्षों के अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित दक्षता (प्रतिष्ठित संगठन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया हो, असफल हो रहे संगठन में टर्न अराउंड लाया हो) को अधिमान्यता दी जाएगी।

ग) 20 वर्षों का कुल अनुभव युक्त सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी और संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद पर न्यूनतम 10 साल के अनुभव वाले सेवानिवृत्त पदाधिकारी। सेवानिवृत्ति के एक वर्ष पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडीगण/ईडीगण। भूतपूर्ण सीएमडीगण/ईडीगण को उस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार नहीं किया जाएगा, जिस बैंक से वे रिटायर हुए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के सेवाकालीन सीएमडीगण/ईडीगण को किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र बैंक के बोर्ड के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार नहीं किया जाएगा।

घ) 20 वर्षों से अधिक का अनुभव युक्त प्रख्यात प्रबंधन संस्थानों के अकादमिशियन निदेशकगण और प्रोफेसरगण
ड.) 20 वर्षों के अनुभव वाले सनदी लेखाकारों (लेखा परीक्षा अनुभव को छोड़कर) को भी अधिमान्यता दी जाएगी।

शिक्षा

अ) एक अनधिकारिक निदेशक को कम से कम स्नातक होना चाहिए विशेषकर कारोबार प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, और आइटी के क्षेत्रों में ।

आयु

अ) निदेशक की आयु, नियुक्ति बोर्ड द्वारा संस्तुति की तिथि पर, 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

कार्य अनुभव

पेशेवरों/अकादमिशियनों को विशेष क्षेत्र में सामान्यतः 20 वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

अनर्हता

अ) बैंक/वित्तीय संस्था में पहले से ही एक निदेशक, किसी भी वर्ग में, किसी अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं / आरबीआई / बीमा कंपनियों में अनधिकारिक निदेशक के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।

ब) किराए-खरीद, वित्त, निवेश, पट्टा उधार एवं अन्य पराबैंकिंग क्रियाकलापों से जुड़े व्यक्ति, एमपी, एमएलए, एमएलसी एवं स्टॉक ब्रोकर बैंकों/वित्तीय संस्थाओं / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में अनधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किए जाएंगे। किराए-खरीद, वित्त, निवेश, पट्टा उधार एवं अन्य पराबैंकिंग क्रियाकलापों से जुड़े व्यक्ति को अनधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा यदि उनके पास वैसी कंपनियों में प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं होता है।

स) कोई भी व्यक्ति एक बैंक/वित्तीय संस्था/ आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में अनधिकारिक निदेशक के रूप में पुनः नामित नहीं किया जा सकता जिसमें उसने दो अवधियों या छह वर्षों जो भी लम्बा हो के लिए किसी भी वर्ग के तहत अनधिकारिक निदेशक के रूप में कार्य किया हो।

अवधि

एक अनधिकारिक निदेशक का एक बैंक/वित्तीय संस्था / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में विचार नहीं किया जा सकता, यदि ऐसा निदेशक, चाहे लगातार या सविरामता से पहले ही किसी अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं / आरबीआई / बीमा कंपनी में छह वर्षों के लिए अनधिकारिक निदेशक / शेयरधारक-निदेशक रह चुका है ।

पेशागत प्रतिबंध

ए) यदि सनदी लेखाकार फर्म वर्तमान में सरकारी क्षेत्र बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखाकार के रूप में कार्य कर रही है तो उस फर्म लेखाकर फर्म से कोई भी साझेदार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अनधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा ।

बी) यदि सनदी लेखाकार फर्म वर्तमान में सरकारी क्षेत्र बैंक में सांविधिक शाखा लेखाकार या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रही है तो उस फर्म लेखाकर फर्म से कोई भी साझेदार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अनधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा ।

चूँकि आरबीआई की अधिसूचना व भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की प्रकृति समान है, बैंक उम्मीदवारों के "सुयोग्य एवं समुचित" स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में से सख्त दिशानिर्देशों पर विचार कर सकता है ।

अधिसूचना : भारतीय रिज़र्व बैंक , बैंकिंग विनियमन विभाग

डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.सं. 38/29.39.001/2016-17 और डीबीआर. एपीपीटी.बीसी.सं. 39/29.39.001/ 2016-17 दिनांकित 24 नवंबर 2016

बैंकिंग कंपनियों के लिए उपयोगी विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए (2) (a) (ix), भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19ए(1)(ए)(viii), भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 25ए (1)(ए)(viii) एवं बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9(3ए)(ए)(viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एतद्वारा (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) कारोबार प्रबंधन से संबंधित मामलों या क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव बैंकिंग कंपनी भारतीय स्टेट बैंक, सहायक बैंक और संबंधित नए बैंक के लिए उपयोगी होगा ।



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केन्द्रीय कार्यालय: 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002

नामांकन फॉर्म
(शेयर धारकों द्वारा) (विनियमों के विनियम 65 (डी) का संदर्भ लें)

सेवा में

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केन्द्रीय कार्यालय, चेन्नै - 600 002

प्रिय महोदय,

निदेशकों का निर्वाचन

दिनांक 08 नवंबर, 2022 की आपकी नोटिस के संदर्भ में इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के 10 नवंबर, 2022, गुरुवार को अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए अभिलेख तारीख को, प्रत्येक रु.10/- के-----
----- (संख्या) ईक्विटी शेयरों का शेयरधारक मैं, चेन्नै में 15 दिसंबर 2022 को आयोजित होने वाली शेयरधारकों की वार्षिक सामान्य बैठक में, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(1) के उपबंधानुसार बैंक के शेयरधारक सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित करने हेतु
_____ के निवासी श्री/श्रीमती
_____ सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी
_____ का एतद्वारा नामांकन करता / करती हूँ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो सं (यदि बेकागजीकृत नहीं है)	
डी पी आइ डी सं. व क्लाइंट आइ डी सं. (यदि बेकागजीकृत है)	
स्थान	
तारीख	

नोट :-

ए) यदि निकाय कार्पोरेट द्वारा नामांकन किया जाता तो नामांकन फार्म के साथ, निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित मूल प्रति जिस बैठक में वह पारित हुआ है उसके अध्यक्ष के हस्ताक्षरित होनी चाहिए।
बी) उम्मीदवार का नामांकन करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल खाना चाहिए।
सी) यदि उपरोक्त कॉलमों में से कोई भी कॉलम खाली छोड़े जाते हैं या दस्तावेज़ त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो नामांकन खारिज होने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।



इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
केन्द्रीय कार्यालय: 763, अण्णा सालै, चेन्नै - 600 002
उद्घोषणा
(अभ्यर्थी द्वारा)
(विनियम के संदर्भ 65)

मैं एतद्वारा पुष्ट करता/ती हूँ कि मैं -----पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री / श्रीमती -----
-----का निवासी हूँ :

क) मैं फोलियो संख्या _____/ डीपी आईडी _____/ क्लाइंट आईडी _____ है
एवं मैं चुनाव में भाग लेने के लिए **विनिर्दिष्ट तिथि गुरुवार दिनांक, 10 नवंबर, 2022** को मेरी को बैंक के
-----ईक्विटी शेयर रखने वाला शेयरधारक हूँ, और

ख) मैं (i) कृषि और ग्रामीण अर्थशास्त्र (ii) बैंकिंग (iii) सहकारी (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्यम अथवा सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान व निपटान प्रणालियों, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन कारोबार प्रबंधन (विशिष्ट ज्ञान अथवा प्रायोगिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार बैंक के लिए उपयोगी हो सकता है) आदि के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान अथवा प्रायोगिक अनुभव रखता हूँ और / अथवा मैं, अधिनियम की धारा 9 के खण्ड 3 ए और उसके साक्ष्य अनुसार किसानों, श्रमिकों और कारीगरों अथवा जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं एतद्वारा संबंधित प्रसंशा पत्र प्रस्तुत करता हूँ और

ग) मैं नामांकन संख्या -----से ----- तक को स्वीकार करता हूँ और

(घ) मैं इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के निदेशकों के चुनाव में भाग लेना चाहता हूँ और

(च) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-आधिकारिक निदेशकों के बारे में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अंतरण और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2003 और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के तहत बैंक का निदेशक बनने से मुझे अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(छ) न तो मेरे कोई कार्यालय ही है और न ही मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1955 के अनुच्छेद 3 की उपधारा (1) के तहत गठित किसी राज्य बैंक अथवा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (सहायक बैंक) अधिनियम 1959 के अनुच्छेद 3 के तहत परिभाषित किसी सहायक बैंक का कर्मचारी हूँ।

(ज) मुझे किसी भी समय दिवालिये के रूप में अधिनिर्णीत नहीं किया गया है या न ही मैंने कभी भुगतान निलंबित किया है या न ही मैं कभी किसी लेनदारों के साथ संयोजित रहा हूँ; और

(झ) मुझे अस्थिर मस्तिष्क वाला नहीं पाया गया है और न ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस तरह घोषित किया गया है; और

(ट) मुझे ऐसे किसी अपराध के लिए फौजदारी न्यायालय द्वारा सज़ा नहीं दी गई है, जिसमें नैतिक भ्रष्टता लिप्त है; और

(ठ) मैं किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्मचारी नहीं हूँ और न ही भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में परिभाषित अनुसार किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ और न ही किसी लाभ के पद पर हूँ।

(ड) मैं किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय अथवा किसी अन्य आर्थिक अधिकारी द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया हूँ; और

(ढ) मैं किसी हायर परचेज़, फ़ाइनांसिंग, इन्वेस्टमेंट, लीज़िंग और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से नहीं जुड़ा हुआ हूँ न ही मैं संसद सदस्य हूँ, न ही विधायक हूँ, न ही विधान परिषद का सदस्य हूँ और न ही कोई स्टॉक ब्रोकर हूँ; और

(ण) मैं किसी अन्य बैंक अथवा वित्तीय संस्था या आरबीआई या बीमा कंपनी का निदेशक नहीं हूँ; और

(त)मैं, दो कार्यकालों अथवा छह वर्ष की अवधि, जो भी अधिक हो, के लिए किसी भी प्रवर्ग के तहत पूर्व में इस बैंक के बोर्ड का निदेशक नहीं रहा हूँ।

(थ)मैं पूर्व में किसी भी प्रवर्ग के तहत दो कार्यकालों अथवा छः वर्षों, जो भी अधिक हो, के लिए निरंतर रूप से या आंतरायिक रूप से किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्था या आरबीआई या बीमा कंपनी में निदेशक नहीं रहा हूँ; और

(द)मेरा चयन किए जाने पर मैं बैंक के साथ व्यावसायिक संबंधों का पालन करूँगा, यदि कोई हो, और निर्देशानुसार कार्यकाल अवधि और उसके 2 वर्ष बाद तक अपने कार्यकाल के दौरान बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध स्वीकार नहीं करूँगा।

(ध)मैं वचन देता हूँ कि बैंक के निदेशक पद पर बने रहने तक यथा संशोधित सेबी (लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के संबंधित प्रावधानों का पालन करूँगा; और

(न)मैं वचन देता हूँ कि इस घोषणा के बाद घटित होने वाली ऐसी किसी भी घटनाओं की जानकारी बैंक को प्रदान करूँगा, जो यहाँ प्रदत्त सूचना से संबंधित हो तथा बैंक में मेरे निदेशक के रूप में चयनित होने पर मैं प्रसंविदा विलेख का निष्पादन भी करूँगा।

(प)मैं अन्य कंपनियों/बैंकों में अपने पूर्ववर्ती निदेशकत्व और अपने वर्तमान निदेशकत्व के विवरण निम्नवत प्रस्तुत करता हूँ:

कंपनी, बैंक आदि का नाम	निदेशकत्व के विवरण यथा अवधि, कार्यकाल आदि

(प) मैं निजी सूचना, घोषणा और वचन प्रपत्र में अपने व्यक्तिगत विवरण संलग्न करता हूँ, जो मेरे संज्ञान और विश्वास के अनुसार सभी दृष्टि से सही और पूर्ण हैं।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत पृष्ठ संख्या/ डीपी आइडी संख्या और क्लाइंट आइडी संख्या	
स्थान	
दिनांक	

उक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए थे।

मुहर सहित हस्ताक्षर

सत्यापनकर्ता अधिकारी का नाम

इस घोषणा पर किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा के रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार, या अन्य किसी राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा इण्डियन ओवरसीज़ बैंक या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के सम्मुख नामिती द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

***जो लागू हो उसे चिह्नित करें।**



**व्यक्तिगत सूचना, उद्घोषणा एवं वचनपत्र
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक**

यहाँ अपना
स्वसत्यापित पासपोर्ट
साइज़ फोटो
चिपकाएँ

-----2022 को वस्तुस्थिति के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा उद्घोषणा व वचनपत्र		
।	अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण	
क	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	
ख	पिता / पति का नाम (पूर्ण)	
ग	लिंग	
घ	जन्म तिथि	
च	शैक्षणिक योग्यता	
ख	शैक्षिक योग्यताएँ (सूचना के समर्थन में कृपया प्रमाणपत्रों की स्वसत्यापित प्रति संलग्न करें)	
ज	व्यावसायिक योग्यताएँ (सूचना के समर्थन में कृपया प्रमाणपत्रों की स्वसत्यापित प्रति संलग्न करें)	
झ	स्थायी पता	
ट	वर्तमान पता	
ठ	ई-मेल पता टेलीफोन नंबर (लैंडलाइन) टेलीफोन नंबर (मोबाइल)	
ड	राष्ट्रियता	
ढ	निदेशक पहचान क्रमांक	
त	आधार संख्या	
थ	1. स्थायी खाता संख्या (पैन)(आयकर अधिनियम के तहत) (कृपया प्रीति संलग्न करें) 2. आयकर सर्किल / खण्ड का नाम और पता जिसके यहाँ व्यक्तिगत कर रिटर्न जमा कर रहे हैं 3. जमा किए विगत 3 तीन वर्षों के आईटीआर जमा किए गए करें का विवरण	
द	नामत: लेखा, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे किसी एक या अधिक मामलों के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय	

	प्रबंधन या किसी अन्य मामले का विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जोकि रिज़र्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी होगा, संक्षिप्त विवरण के रूप में लिखें ।				
ध	वर्तमान व्यवसाय (पदनाम, संगठन का नाम एवं अनुभव पर संक्षिप्त लेखन)				
न	विगत दस वर्षों को समाहित करते हुए, विगत संगठनों के नाम, जहां काम किया हो, पूरे पते सहित, पदभार ग्रहण करने की तिथि, सेवा से कार्यमुक्ति की तिथि (कारणों सहित), पद आदि				
प	सनदी लेखाकारों की स्थिति में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करें : अ) इन्सट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई)का सदस्यता क्रमांक आ) आईसीएआई के साथ पंजीकरण की तिथि इ) पंजीकृत फर्म नाम एवं पता ई) आपके अथवा आपकी फर्म के द्वारा वर्तमान में की जा रही सांविधिक लेखा परीक्षाओं का विवरण				
फ	शाखा और खाता संख्या (बचत / चालू / ऋण खाते) के साथ बैंकर का नाम जहां आप प्राथमिक खाता धारक हैं:	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या
ब	यदि किसी संस्थान में आपके पति/पत्नी या आपके नाबालिग बच्चे भौतिक अथवा डीमैट रूप से शेयर धारक हैं, तो उनका विवरण (डीमैट/ शेयर धारिता प्रमाण पत्र संलग्न करें)				
भ	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य सूचना				
॥	उम्मीदवार का सुसंगत संबंध				
क	उम्मीदवार के रिश्तेदारों की सूची , यदि कोई हो, जो बैंक से संबंध रखते हैं [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) के संदर्भानुसार जिसे कंपनी नियम 2014 (परिभाषा विवरण निर्धारण) के नियम 4 के साथ पढ़ा जाना है ।				
ख	संस्थाओं की सूची जिनमें : अ) रुचि [कंपनी अधिनियम,की 2013 [देखें 184 धारा आ) एमसीए के लागू महत्वपूर्ण 2013 लाभकारी स्वामित्व नियमों के रूप में; लाभकारी स्वामित्व कंपनी अधिनियम] [देखें 89 की धारा इ) ट्रस्टी किसी ट्रस्ट के संदर्भ में किसी) : (अन्य संबंध का भी उल्लेख करें				

ग	बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा V (एन-ई) की परिभाषा के अंतर्गत ऐसे निकायों की सूची जिनमें वे पर्याप्त रूप से अपना हित धारित किए हुए हैं, जिसमें प्रस्तावित और मौजूदा दोनों शामिल हों।	कंपनी/ फार्म का नाम	
		निकायों का देश	
		शेयरों की संख्या	
		प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य	
		धारित कुल शेयरों का अंकित मूल्य	
		कुल प्रदत्त पूंजी की शेयर धारिता प्रतिशत	
		हिताधिकारी लाभ (मूल्य के साथ साथ % के साथ)	
		क्या कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत आती है ?	
घ	विदेश में निगमित इकाइयां जिनके कारोबार का स्थान भारत में नहीं है, उनमें धारिता के विवरण		
ङ	बैंक/ एनबीएफसी/ अन्य कोई कंपनी जिसमें वर्तमान अथवा पूर्व में बोर्ड सदस्य/ सलाहकार रहे हों (अवधि का विवरण दें जिसमें संबन्धित कार्यालय में सम्बद्ध हैं/ थे।)		
च	यदि किसी भी संस्था के साथ किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियां में सम्बद्ध (संबद्धता की प्रकृति अंकित करें) थे तो, वर्णित करें।		
छ	यदि स्टॉक ब्रोकर अथवा शेयर ब्रोकिंग की गतिविधि में सम्बद्ध हैं तो विवरण प्रस्तुत करें।		
ज	बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(एनई) के अर्थ में कंपनियों की सूची जिनसे उम्मीदवार का भरपूर अधिकृत संबंध होना जाना जाता है।		
झ	उम्मीदवार या उपर्युक्त॥(बी)॥(सी) में सूचित किसी भी संस्थाओं द्वारा बैंक से वर्तमान में ली गई निधि या गैर-निधि आधारित सुविधाएँ, यदि कोई हो		
ट	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जिनमें उपर्युक्त ॥ (बी) व (सी) में सूचीबद्ध बैंक अथवा किसी अन्य बैंक/ वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण सुविधा उम्मीदवार या निकाय चूककर्ता हों या पूर्व में चूक की हो।		
III	व्यावसायिक उपलब्धियों का विवरण		
क	निदेशक से संबन्धित व्यवसायिक उपलब्धियाँ, यदि कोई हों		
IV	उम्मीदवार के विरुद्ध ली गई कार्रवाई, यदि कोई हो		

क	यदि प्रत्यासी किसी व्यवसायी संघ / निकाय के सदस्य हैं तो उम्मीदवार के विरुद्ध यदि कोई अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है या जारी है या कभी दोषी ठहराये गये हैं या उम्मीदवार के किसी भी व्यवसाय / धंधा करने में किसी भी समय रोक लगाई गई है तो विवरण दें।	
ख	उम्मीदवार और / या उपर्युक्त॥(बी)॥(सी) में सूचित कंपनियों के विरुद्ध आर्थिक नियम व विनियमों के उल्लंघन के लिए मुकदमा, यदि कोई हो, लंबित है या जारी है या कभी दोषी ठहराए गए हैं तो विवरण दें।	
ग	उम्मीदवार के विरुद्ध यदि कोई आपराधिक अभियोजन लंबित है, जारी है या कभी दोषी ठहराए गए हैं तो विवरण दें।	
घ	यदि एएमएल / सीएफटी दिशानिर्देशों के किसी भी उल्लंघन में लिप्त हैं, तो उसका विवरण।	
च	क्या उम्मीदवार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274)के तहत और उसके तहत बनाए गए नियमों जिन्हे (राष्ट्रीयकृत बैंक प्रबंधन व विविध प्रावधान) योजना 1970 के तहत परिकल्पित किसी भी अयोग्यता के पात्र बने हैं (कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 274)।	
छ	क) यदि अपराध के एक आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है जिसमें नैतिक क्रूरता या अन्यथा शामिल है, तो उसका विवरण। ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उसका विवरण दें।	
ज	यदि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण करते हैं, तो एक पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर, उसका विवरण	
झ	यदि एक व्यक्ति के रूप में या किसी अन्य के रूप में ॥ (बी) से (एच) तक किसी भी संस्था में किसी भी जांच / सतर्कता / पिछले नियोक्ता या सरकारी विभागों या एजेंसी में जांच का कोई भी मामलों के लंबित है, तो उसका विवरण।	
ट	यदि उम्मीदवार किसी भी समय नियमों / विनियमों सीमा / उत्पाद / आय कर / विदेशी विनियम / अन्य राजस्व प्रधिकारियों से वांछित विधिक अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराए गए हैं तो विवरण दें	
ठ	क्या उम्मीदवार या उपर्युक्त॥(बी)॥(सी) में सूचित किसी भी कंपनी पर सेबी, डीसीए, आइआरडीए, एमसीए, फेमा, सिबिल आदि	

	जैसे नियामकों द्वारा कभी विपरीत सूचना दी गई है । (हालांकि अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य यह नहीं है कि विनियामक द्वारा जिन प्रदत्त आदेशों और कमियों को बाद में संशोधित / पूर्णतः निरस्त कर दिया गया उनको कॉलम में प्रदर्शित करें , लेकिन यदि परिसीमन अथवा अधिकारक्षेत्र न होने और गुणों के आधार पर नहीं आदि तकनीकी कारणों से संशोधन / निरस्त करने के मामले में उसके विवरण प्रदान करना अनिवार्य हैं । यदि विनियामक का आदेश अस्थायी रूप से रूका हुआ है और अपीलीय / न्यायालय में निर्णय लंबित है तो उसके विवरण भी प्रदान किए जाने चाहिए ।	
V	सामान्य सूचना	
अ	यदि सनदी लेखाकारों, अधिवक्ताओं आदि जैसे पेशेवर और किसी भी बैंक में वर्तमान में/ पूर्व में कोई भी पेशेवर काम किया है तो बैंक के नाम और बैंक के सहयोग की अवधि सहित उसका विवरण प्रदान करें ।	
आ	यदि सनदी लेखाकारों, अधिवक्ताओं आदि जैसे पेशेवर और किसी भी बैंक में वर्तमान में/ पूर्व में कोई भी पेशेवर काम किया है तो बैंक के नाम और बैंक के सहयोग की अवधि सहित उसका विवरण प्रदान करें ।	
इ	अपने कर्तव्यों को पूरा करने के साथ ही क्या उम्मीदवार / निर्देशक किसी अन्य व्यक्ति या संस्था या बैंक या कंपनियों, आदि के निर्देशों या निर्देशों का कार्य करेगा? यदि हां, तो विवरण दें।	
ई	क्या उम्मीदवार व्यक्तिगत क्षमता में बैंक के साथ कोई व्यवसाय करता है? यदि हां, तो विवरण दें।	
VI	मद संख्या I व III एवं उम्मीदवार को उपयुक्त व पात्र समझे जाने संबंधी अन्य सूचना के संबंध में कोई स्पष्टीकरण/ सूचना	

वचन:

मैं ----- पुत्र /पुत्री / पत्नी श्री -----
 -----पुष्ट करता हूँ कि दी गई उपर्युक्त जानकारी मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सही व पूर्ण है । मैं वचन देता हूँ कि अपनी नियुक्ति के पश्चात् होने वाली उन सभी घटनाओं से बैंक को पूर्ण रूप से यथाशीघ्र अवगत कराता रहूँगा जो मेरे द्वारा प्रदत्त उपर्युक्त जानकारी से जुड़ी होंगी ।

मैं बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने पर औचित्य विलेख का निष्पादन करने का भी वचनबद्ध हूँ ।

तारीख :

स्थान :

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

संग्रहक

नोट : 1. जहाँ कहीं पर्याप्त जगह न हो तो, अनुबंध संग्रह करें और उसमें कालक्रमानुसार जानकारी दें और उचित संदर्भों का भी उल्लेख करें ।

2. उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक पृष्ठ [अनुबंधों सहित] प्राधिकृत किया जाना अपेक्षित है ।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के प्रेक्षण

समिति सदस्य	समिति सदस्य	समिति सदस्य

स्थान :

दिनांक :



Indian Overseas Bank
Central Office: 763, Anna Salai, Chennai – 600 002

CONTENTS

CONTENTS	PAGE NO	CONTENTS	PAGE NO
Notice	38	Nomination Form	61
Notes	39	Declaration Form	62
Explanatory Statement	44		
Extract from Relevant Acts and Regulations	50		

IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

CALENDAR OF EVENTS	Date	Day
8. Record date for ascertaining the shareholders eligibility to attend the EGM and vote thereat	10.11.2022	Thursday
9. Last date for submission of nomination forms (on or before)	30.11.2022	Wednesday
10. Scrutiny of Nominations	01.12.2022	Thursday
11. Last date for receipt of true copy of resolutions for appointing authorized representatives.	09.12.2022	Friday
12. E-voting Dates on CDSL	12.12.2022 to 14.12.2022	Monday to Wednesday
13. Date and Time of EGM through Video Conference (VC) and other Audio-Visual Means (OAVM)	15.12.2022 (11.00 AM)	Thursday
14. Deemed Venue of the EGM	Indian Overseas Bank, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai 600002	

Registrar and Share Transfer Agent:

M/s Cameo Corporate Services Ltd
(Unit-INDIAN OVERSEAS BANK)
Subramanian Building
V Floor, No.1, Club House Road
Chennai 600002

Tel : 044 - 2846 0390 (Six Lines)/

044 - 2846 0395

Fax : 044 - 2846 0129

Email : cameo@cameoindia.com



INDIAN OVERSEAS BANK

Central Office, 763 Anna Salai, Chennai 600 002

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 57 of the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) that an **Extraordinary General Meeting (EGM) of the Shareholders of Indian Overseas Bank** will be held on **Thursday, the 15th December, 2022 at 11.00 a.m. (IST) through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

To elect one Director from amongst the shareholders of the Bank (other than the Central Government) in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the "Regulation Act") and Nationalized Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme") and the Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (Amended up to 2008) (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, and Notification No. RBI/DBR/2019- 20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "RBI Notification") and Notification No. F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013 of Government of India read with Criteria laid down by Government for consideration as Non Official Directors of Public Sector Banks on March 25, 2015, July 20, 2016 and any amendments made thereunder (hereinafter referred as "GOI Guidelines") by passing the following resolution:

"RESOLVED THAT one Director elected from amongst shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3) (i) of the Act read with relevant Scheme, Regulations made thereunder and RBI Notifications, GOI Guidelines, etc., be and is hereby elected as the Director of the Bank to assume office from 20th December 2022 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption of office as Director".

(On behalf of the Board of Directors)

Sd/-

(Pratim Partha Sengupta)
Managing Director & CEO

Place: Chennai

Date: 8th November 2022

NOTES

- a) In view of the continuing Covid-19 pandemic, MCA (Ministry of Corporate Affairs) vide circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, , 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, Circular No.20/2021 dated December 08, 2021 and Circular No. 03/2022 dated May 05, 2022 and SEBI vide circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/ 79 dated 12th May, 2020 permitted companies to hold their EGM through VC/OAVM for the calendar year 2022 without the physical presence of the shareholders. In compliance with the provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and MCA circulars, the Bank is holding the Extraordinary General Meeting through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM). Hence, Shareholders can attend and participate in the AGM through VC/OAVM only.

The Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** to provide VC/OAVM facility for the EGM and as the attendant enablers for conducting of the EGM.

In line with the aforesaid MCA Circulars, the Notice of EGM is being sent only through electronic mode to those shareholders whose email addresses are registered with the Bank / Depositories. Shareholder may note that Notice has been uploaded on the website of the Bank at www.iob.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and www.bseindia.com respectively and the EGM Notice is also available on the website of CDSL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.cdslindia.com.

- b) Shareholders holding shares in physical mode may temporarily register their e-mail ids by clicking on the link <https://investors.cameoindia.com> to get the soft copy of the Notice of EGM. The Central office of the Bank at no. 763, Anna Salai, Chennai – 600 002 shall be the deemed venue for the meeting.

c) **EXPLANATORY STATEMENT:**

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

d) **VOTING RIGHTS:**

In terms of sub-section (2-E) of Section 3 of the Act, **no shareholder** of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the bank.**

Subject to the above, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Record Date** i.e., on **Thursday, the 10th November 2022**, will be entitled to participate (to nominate, contest and vote) in the Election of one Shareholder Director of the Bank (Elections) and shall have one vote for each share held by him/her as on the **Record Date**.

As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person only is entitled to participate in the meeting and is eligible to nominate, contest and vote on the agenda either through remote e-voting or e-voting at the EGM.

e) **REMOTE E-VOTING**

Pursuant to Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended) and MCA circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, No.17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, Circular No.20/2021 dated December 08, 2021 and Circular No. 03/2022 dated May 05, 2022 and SEBI vide circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/ 79 dated May 12, 2020 and the Uniform Listing Agreements with stock exchanges, your Bank is pleased to provide Remote e-voting facility to enable shareholders to cast their votes electronically on the item mentioned in the notice for which Bank has appointed **Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL)** as e-voting agency to provide the remote e-voting platform. Remote

E-voting is optional. The E-voting rights of the shareholders/beneficiary owners shall be reckoned on the equity shares held by them as on Thursday, November 10, 2022 being the Cut-off Date for the purpose. Shareholders of the Bank holding shares either in physical or in dematerialized form, as on the Cut-off Date, may cast their vote electronically. The Bank has appointed Mr. R. Sridharan of M/s R Sridharan & Associates, Company Secretaries (FCS No. 4775) (CP. No. 3239), as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process as well as the e-voting process on the date of the EGM in a fair and transparent manner.

e) PROCEDURE & INSTRUCTIONS FOR REMOTE E-VOTING, JOINING THE AGM THROUGH VC/ OAVM AND FOR E-VOTING DURING E-AGM:

1. THE INTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:

- (i) The remote e-voting period begins on Monday, December 12, 2022, at 9:00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, December 14, 2022, at 5:00 p.m. (IST). During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Record date on Thursday, December 8, 2022 may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
- (ii) Shareholders who have already voted prior to the meeting date would not be entitled to vote at the meeting.
- (iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iv) Click on "Shareholders" module.
- (v) Now enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

OR

Alternatively, if you are registered for CDSL's **EASI/EASIEST** e-services, you can log-in at <https://www.cdslindia.com> from [Login - Myeasi](#) using your login credentials. Once you successfully log-in to CDSL's **EASI/EASIEST** e-services, click on **e-Voting** option and proceed directly to cast your vote electronically.
- (vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- (viii) If you are a first-time user follow the steps given below:

	For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10-digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) Shareholders who have not updated their PAN with the Company/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Company/RTA or contact Company/RTA.

Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the company records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).
--	---

- (ix) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (x) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (xi) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xii) Click on EVSN of Indian Overseas Bank.
- (xiii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiv) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xv) After selecting the resolution, you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xvi) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xviii) If a demat account holder has forgotten the login password, then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xix) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app "**m-Voting**". The m-Voting app can be downloaded from respective Store. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while Voting on your mobile.

PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ADDRESSES ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTION PROPOSED IN THIS NOTICE:

1. In case shares are held in physical mode- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to investor@cameoindia.com.

2. In case shares are held in demat mode -, please provide Demat account details (CDSL-16-digit beneficiary ID or NSDL-16-digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to **investor@cameoindia.com**.

2. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS ATTENDING THE EGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Shareholders may access the same at <https://www.evotingindia.com> under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Bank will be displayed.
2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / IPads for better experience.
3. Further shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
5. The Shareholders can join the EGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first served basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the EGM without restriction on account of first come first served basis.
6. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance on or before **December 09, 2022** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in with marking copy to investor@cameoindia.com. The shareholders who do not wish to speak during the EGM but have queries may send their queries in advance **by December 09, 2022** mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investor@iobnet.co.in with marking copy to investor@cameoindia.com. These queries will be replied to by the Bank suitably by email.
7. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
8. The shareholders attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose reckoning the quorum under Regulation 58 of Indian Overseas Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003.

3. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR E-VOTING DURING THE EGM ARE AS UNDER: -

1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
2. Only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM.
3. Once the vote on the resolution is cast by a member, the member shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote again.

4. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.
5. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM.

Note for Non – Individual Shareholders and Custodians

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the “Corporates” module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; at investor@iobnet.co.in with marking copy to investor@cameoindia.com and rsaevoting@gmail.com , if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800-22-55-33

f) APPOINTMENT OF PROXY:

Pursuant to the aforesaid circulars, the facility to appoint proxy to attend and cast vote on behalf the shareholders is not available for this EGM, as it is being held through VC/OAVM. Accordingly, the Proxy Form and Attendance Slip are not annexed to this Notice.

g) APPOINTMENT OF AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE:

Body Corporates are entitled to appoint authorized representatives to attend the EGM through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting. Institutional /Corporate Shareholders (i.e. other than individuals/HUF, NRI, etc) are required to send a scanned copy (PDF/JPEG Format) of its Board Resolution or governing body Resolution/Authorization etc., authorizing its representative to participate in the Extraordinary General Meeting through VC/OAVM on its behalf and to vote through e-voting. The said Resolution/Authorization shall be sent to the Scrutinizer by email through their registered email address to agm@cameoindia.com with copy marked to rsaevoting@gmail.com and to the Bank at investor@iobnet.co.in on or before 4.00 p.m. (IST) on **December 09, 2022**.

h) TRANSFERS:

Share certificates along with transfer deeds should be forwarded to the Share Transfer Agent at the address given elsewhere in this Notice for the transfer of shares of the Bank.

i) CHANGE OF ADDRESS:

Shareholders holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, to the Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s.Cameo Corporate Services Ltd.
(Unit-Indian Overseas Bank)
Subramanian Building,
V Floor, No.1 Club House Road,
Chennai – 600 002
Tel: 044 – 2846 0390 (Six Lines) / 044 – 2846 0395
Fax: 044 – 2846 0129 email: investor@cameoindia.com

Shareholders holding shares in electronic form are requested to intimate changes, if any, in their registered address only to their respective Depository Participant(s).

j) RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING DURING EGM:

The Scrutinizer shall, immediately after the conclusion of e-voting at the Extraordinary General Meeting, first count the votes cast during the EGM, thereafter unblock the votes cast through remote e-voting and make, not later than 48 hours of conclusion of the EGM, a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same. The results of the remote e-voting aggregated with the results of e-Voting at the EGM will be announced by the Bank in its website and also informed to the Stock Exchanges.

EXPLANATORY STATEMENT**ELECTION OF DIRECTORS:**

Your Bank had elected one Director viz. Shri Navin Prakash Sinha, from amongst the shareholders other than Central Government on 29th January, 2021 for a term of three years. The above shareholder Director resigned due to personal reasons on 07th October 2022. As the public shareholding in the Bank is below 16% of the total paid-up capital of the Bank, the Bank is entitled to elect only one Shareholders' Director. With a view to fill in the vacancy which rose on 8th October 2022, your Bank proposes to conduct Election of one Shareholder Director at an Extraordinary General Meeting to be convened on Thursday, 15th December, 2022.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in various and relevant Act / Scheme / Regulations / Notifications, the relevant extracts / portions of which are reproduced hereunder. One Director will be elected either after the scrutiny of the nominations which the shareholders submit to the Bank and determination of their Fit & Proper Status by the Nomination & Remuneration Committee of the Board or subsequent election at the Extraordinary General Meeting. A Director so elected shall assume office from 20th December, 2022 and will hold office for a period of three years till 19th December, 2025.

LEGAL PROVISIONS:

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Scheme / Regulations / Notifications/Directions from GOI applicable in this regard:

ACT/SCHEME/REGULATIONS/ NOTIFICATIONS/DIRECTIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20 Section 51	➤ Substantial Interest ➤ Prohibition of Common Directors ➤ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors ➤ Applicability of certain Sections of Act to a corresponding new bank

The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Sec.9(3A) (A)to(C) Section 9(3AA) Section 9(3AB) Section 9(3B) Section 13(2)	➤ Restriction on voting rights ➤ No. of directors to be elected by the shareholders ➤ Special knowledge in certain fields ➤ No person shall be eligible to be elected as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe. ➤ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. ➤ Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9(4) Clause 10 Clause 11 Clause 11A Clause 11B Clause 12(8)	➤ Term of office of elected directors ➤ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank ➤ Vacation of office of Director ➤ Removal from office of an elected Director ➤ Filling of casual vacancy in the office of an elected Director ➤ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations 2003 (Amended upto 2008)	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 69	➤ Exercise of rights of joint holders ➤ Voting at General Meetings ➤ Directors to be elected at General Meetings ➤ List of Shareholders ➤ Nomination of candidates for election ➤ Scrutiny of nominations ➤ Election disputes ➤ Determination of voting rights ➤ Voting by duly authorized representative
RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67 .001/2019-20 dated August 2, 2019	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper criteria for elected directors on the board of nationalized banks
Letter dated 3 rd September 2013 vide Ref F. No. 16/83/2013-BO.I issued by Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks issued on March 25, 2015 and July 20, 2016 and subsequent amendments thereto, if any		Criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non Official Director (NOD) in Public Sector Banks

RBI Master Circular DBR. No. Dir. BC. 10/13.03.00/2015-16 dated July 1, 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
RBI Notification DBR.Appt.BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016		Special Knowledge or practical experience useful to banking companies

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme/ Regulation as well as RBI Notifications No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019, GOI Guidelines dated 25 March 2015 and July 20, 2016, RBI Notification DBR.Appt.BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 will be hosted in the Bank's website. www.iob.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary Indian Overseas Bank, Investor Relations Cell, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai - 600 002 on or before the last date fixed for submission of nomination forms i.e. Wednesday, 30th November, 2022.

PARTICIPATION IN ELECTION:

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders / Beneficial Owners as furnished by NSDL / CDSL as on the Record Date i. e., on Thursday, 10th November, 2022 shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of one director from amongst Shareholders other than the Central Government.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3) (i) of the Act shall

➤ have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely: -

- agricultural and rural economy
- banking
- co-operation
- economics
- finance
- law
- small scale industry

Any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include

- (i) Information Technology
- (ii) Payment & Settlement Systems
- (iii) Human Resources
- (iv) Risk Management and
- (v) Business Management,

for persons who could be considered for appointment of director in the banks.

- represents the interest of depositors; or
- represents the interest of farmers, workers and artisans

In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI notifications, a candidate being a shareholder of the Bank who desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper' status.

Further the elected Director should execute a Deed of Covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

In terms of Clause 10 of the Scheme, a person shall be disqualified for being appointed as and for being, a Director:

- if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or

- if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
- If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of RBI Notifications No. RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 read with the criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-official Director in Public Sector Banks by the Nomination and Remuneration Committee of the Board of the Bank.

LIST OF SHAREHOLDERS

As provided in Regulation 64 of the Regulations, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e., compact disc or such other media) will be available at the Central Office of the Bank from the Company Secretary, Indian Overseas Bank, Investor Relations Cell, 763, Anna Salai, Chennai from Tuesday, the 22nd November, 2022 onwards for purchase by Shareholders on payment of Rs.50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) plus tax as applicable by Demand Draft / Pay Order in favor of "Indian Overseas Bank" payable at Chennai. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

The Register of Shareholders will be open for inspection on all working days (other than Sundays and Bank Holidays) between 11.00 A. M. to 4.00 P.M. at the Bank's Central Office at 763, Anna Salai, Chennai 600 002 for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of Shareholders. Due to COVID Pandemic Situation, Shareholders who are desirous of inspecting the Register of Shareholders are required to intimate the Company Secretary of the Bank at investor@iobnet.co.in and on 044-28415702 atleast one working day before the day of inspection. The persons visiting the Bank may be subject to medical tests, if any, by the Bank's Management.

If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information of the same it shall be supplied to him on prepayment at the rate of Rs.10/- for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India RBI/DBR/2019- 20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 and letter dated 3rd September 2013 vide Ref F No. 16/83/2013- BO.I issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services and Criteria laid down by the Central Government for consideration as a NOD in Public Sector Banks issue on March 25, 2015 and July 20, 2016 (GOI Guidelines) and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- a) He / she is a shareholder holding **not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Thursday, the 10th November 2022** being the **Record Date** of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- b) As on Wednesday, 30th November, 2022, being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be a Director under the Act / Scheme / Regulations / RBI Notifications/ GOI Guidelines.
- c) There are no calls in arrears in respect of the shares held by him.
- d) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Central Office of

the Bank addressed to the **General Manager & CFO, Indian Overseas Bank Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai – 600 002** and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company.

- e) The nomination is accompanied by a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election and that he / she is not disqualified either under the Act or the Scheme or the Regulations / RBI Notification or applicable GOI Guidelines from being a Director along with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- f) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulations and as per the proforma annexed (The proforma is also available on the Bank's website: www.iob.in)
- g) He / She is not disqualified under the Act or the Regulation Act or the Scheme or the Regulations and RBI Notification RBI/DBR/2019-20/71, Master Direction DBR/APPT No.: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 of Reserve Bank of India and GOI Guidelines dated 25.03.2015, 20.06.2016 and any amendment thereof as applicable to Non Official Directors, from being elected as a director.

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government, should submit:

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Nominations from minimum of one hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc., in a sealed envelope to the **General Manager & CFO, Indian Overseas Bank, Investor Relations Cell, Balance Sheet Management Department, Central Office, 763, Anna Salai, Chennai – 600 002** on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before 5.00 p.m. on Wednesday, the 30th November, 2022.
- d) The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- a) Nominations shall be scrutinized on Thursday, the 1st December, 2022, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee of the Board in terms of RBI Notifications / GOI guidelines. As restriction imposed by RBI Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates
- c) The Bank may at the time of scrutiny by the Nomination and Remuneration Committee of the Board seek further information, documents from the candidates in support of his/her candidature.
- d) If there is only one valid nomination for the vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event the Extraordinary General Meeting will stand cancelled. The newly elected director will assume office on 20th December, 2022.
- d) If there are more than one valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspaper/s. Election will be held and candidates polling the majority of the votes at the election will be deemed to have been elected and their names will be announced by the Chairman of the meeting after receipt of scrutinizer's report and will also be published in newspapers.

VOTING PROCESS ON DECEMBER 15, 2022

The voting for Election of Director shall be done through E Voting and will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman of the meeting and continue upto 12.30 p.m. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on Wednesday, 10th November, 2022.

The tabulation of votes would be taken up thereafter and result will be announced by the Chairman of the Meeting or any other Official of the Bank authorised in this behalf and published in newspapers and the website of the Bank and will also be informed to the Stock Exchanges.

The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the EGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

The entire process of Election would be conducted by the Returning Officer appointed by the Bank, an independent Consultant (Scrutiniser) appointed for the said purpose by the Bank and would be overseen by the Central Government Nominee who will act as an Observer.

The scrutinizer shall after the conclusion of e-voting at the EGM, unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two witnesses not in the employment of the Bank. The scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting not later than 48 hours of conclusion of the EGM and the Chairman or a person authorised by him in writing, who shall countersign the same, shall declare the result of the voting forthwith.

The Results along with the Consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website: www.iofb.in and on the website of CDSL immediately after the result is declared by the Chairman and will also be informed to the Stock Exchanges.

.

Withdrawal of Nominations:

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so by sending a letter or fax at any time prior to closing hours of the Bank i.e. 5.00 P.M. on Friday, 09th December 2022.

Disputes:

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

Extracts:

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Regulation Act/ Scheme / Regulations / Notification / GOI Guidelines are annexed for the benefit of the shareholders.

Interest of Directors:

None of the Directors of the Bank is interested or concerned in the aforementioned item of business except to the extent of their shareholding and those eligible existing Shareholder Director who may contest the election.

By Order of the Board of Directors
for **Indian Overseas Bank**

Place : Chennai
Date : 08.11.2022

Partha Pratim Sengupta
Managing Director & CEO

ELECTION OF DIRECTORS – EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

In terms of Section 9(3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Shareholder Directors shall have to be appointed depending upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant Sections of The Banking Regulations Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and as amended upto 2008 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest - Section 5 (ne)

- (iv) In relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less.
- (v) In relation to a firm, means the beneficial interest held therein by the individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten percent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Prohibition of Common Directors – Section 16(1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director in its Board of Directors any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances – Section 20

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall –
 - a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of –
 - (i) any of its Directors
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any company (not being a subsidiary of the banking company or a company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government company) of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the banking company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- 2) Where any loan or advance granted by a banking company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a banking company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the banking company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5;

Provided that the Reserve Bank may, in any case, on an application in writing made to it by the banking company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit:

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the banking company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the banking company within the period specified in that sub-section, then, such person shall, if he is a Director of such banking company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation - in this Section –

- a) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
 - b) "Director" includes a member of any board or committee in India constituted by a banking company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

Applicability of certain Sections of Act to a corresponding new bank – Section 51

- (1) Without prejudice to the provisions of the State Bank of India Act, 1955(23 of 1955) or any other enactment, the provisions of sections 10, 13 to 15, 17, 19 to 21A, 23 to 28, 29 excluding sub-section (3,) 29A, sub-section (1B), (1C) and (2) of sections 30, 31, 34, 35, 35A, 36 [excluding clause(d) of sub-section(1)] 45Y to 45ZF, 46 to 48] 50, 52 and 53 shall also apply; so far as may be, to and in relation to the State Bank of India or any corresponding new bank or a Regional Rural Bank or any subsidiary bank as they apply to and in relation to banking companies:

PROVIDED that-

(a) nothing contained in clause (c) of sub-section (1) of section 10 shall apply to the Chairman of the State Bank of India or to a Managing Director of any subsidiary bank insofar as the said clause precludes him from being a Director of, or holding an office in, any institution approved by the Reserve Bank;

(b) nothing contained in sub-clause (iii) of clause (b) of sub-section (1) of section 20 shall apply to any bank referred to in sub-section (1), insofar as the said sub-clause (iii) of clause (b) precludes that bank from entering into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of a company (not being a Government company) in which not less than forty per cent of the paid-up capital is held (whether singly or taken together) by the Central Government or the Reserve Bank or a corporation owned by that bank; and

(c) nothing contained in section 46 or in section 47A shall apply to, -

(i) an officer of the Central Government or the Reserve Bank, nominated or appointed as Director of the State Bank of India or any corresponding new bank or a Regional Rural Bank or any subsidiary bank or a banking company; or

(ii) an officer of the State Bank of India or a corresponding new bank or a Regional Rural Bank or a subsidiary bank nominated or appointed as Director of any of the said banks (not being the bank of which he is an officer) or of a banking company.;

- (2) References to a banking company in any rule or direction relating to any provision of this Act referred to in sub-section (1) shall, except where such rule or direction provides otherwise, be construed as referring also to the State Bank of India, a corresponding new bank, a Regional Rural Bank and a subsidiary bank.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on voting rights

Section 3(2E) No shareholder of the corresponding new bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new bank.

Composition of the Board of Directors

Section 9 (3) (i) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:-

- a) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director
- b) more than sixteen per cent of the total paid up capital, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.
- c) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section 9(3A) The Directors to be elected under the said clause (i) shall –

- (J) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely -
 - (K) agricultural and rural economy
 - (L) banking
 - (M) co-operation
 - (N) economics
 - (O) finance
 - (P) law
 - (Q) small scale industry
 - (R) any other matter the special knowledge of, and practical experience in which would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank

RBI vide its Notification DBR.Appt.BC.No.38/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has notified that special knowledge or practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management would be useful to a corresponding new bank.

(B) represent the interests of depositors; or

(C) represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9(3AA) Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB) The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9(3B) Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirements of sub-section (3A) and (3AA), as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Clause 9: Term of office of elected directors

Clause 9(4):

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Clause 10: Disqualification of Directors

A person shall be disqualified for being appointed as, and for being, a Director:-

- a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- c) if he has been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India, constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the corresponding new bank.

Clause 11: Vacation of office of Directors

- 1) If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- 2) The Chairman or whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- 3) Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
- 4) Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Clause 11A: Removal from office of an elected Director

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of sub-section (3) of Section 9 and elect instead of him another person to fill the vacancy.

Clause 11B: Filling of vacancy in the office of an elected Director

- 1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled in by election :
Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining Directors
- 2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Clause 12(8): Disclosure of interest by Directors

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank, shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal :

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- ii) an officer or other employee of the Nationalized Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

IV. INDIAN OVERSEAS BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 2003 (AMENDED UPTO 2008)**Chapter II****Regulation 10: Exercise of rights of joint holders**

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Indian Overseas Bank except the transfer of shares, be deemed to be the sole holder thereof.

Chapter V**Election of Directors****Regulation 63: Directors to be elected at general meeting**

- i) A Director under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the general meeting of Indian Overseas Bank.
- ii) Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

Regulation 64: List of shareholders

- i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 63 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting distinctive numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head- Office.

Regulation 65: Nomination of candidates for election

- i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
 - a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Indian Overseas Bank;
 - b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme;
 - c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the HeadOffice of Indian Overseas Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such company;
 - e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director;
- ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Central Office of Indian Overseas Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Regulation 66: Scrutiny of nominations

- i. Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason therefor. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election, it shall stand cancelled.
- ii. In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- iii. A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is, or is deemed to be, elected.

Regulation 67: Election disputes

- i) if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Indian Overseas Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Indian Overseas Bank shall forthwith refer such doubt or

dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

- iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared result of the election or, if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of a fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Chapter VI

Voting Rights of Shareholders:

Regulation 68: Determination of voting rights

- i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a company, is present in person or by proxy or who being a company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i).

Explanation – for this Chapter, "Company" means any body corporate.

- iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Regulation 69: Voting by duly authorized representative

- i) A shareholder, being the Central Government or a company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officials or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a "duly authorized representative" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or company which he represents, as if he were an individual shareholder of Indian Overseas Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government/ company.
- ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Overseas Bank as the duly authorized representative of a company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Central Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification RBI/DBR/2019- 20/71 Master Direction DBR.Appt. No:9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of PSBs under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of undertakings) Act 1970/1980.

SALIENT FEATURES OF THE NOTIFICATION:

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper "status etc. are as under:

a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a "Nomination and Remuneration Committee" consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors for undertaking the process of due diligence to determine 'fit and proper'

status of the candidate. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the Nomination and Remuneration committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the Board

of Directors may nominate any other non-executive director in his place for the meeting. At the time of constituting the committee the Board can decide on its tenure.

b) Manner and procedure:

The Bank will obtain necessary information, and declaration & undertaking in format as given in the circular from the persons who file their nomination for election. The committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned in the RBI circular.

The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

C) Criteria

The committee shall determine the 'fit and proper' status of the proposed candidate based on the broad criteria as mentioned hereunder:

(i) Age - The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.

(ii) Educational qualification - The candidate should at least be a graduate.

(iii) Experience and field of expertise - The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.

(iv) Disqualifications: In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:

(a) The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a Banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

(b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB.

However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.

(c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served as director in the past on the board of any bank (including the bank in which he/she has served as director in the past) /FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.

(d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.

(e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc).

(f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.

(g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged.

(v) Tenure - An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years whether served continuously or intermittently.

(vi) Professional Restrictions –

a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.

b) The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any Non Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other bank.

Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a director of the bank.

(vii) Track record and integrity - The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

(D) The banks shall obtain from the elected director:

(a) Deed of Covenant executed in the format given in the RBI circular, before such person assumes office of director.

(b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.

(c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh Annex 1 incorporating the changes.

(E) Further, the Circular also provides that the Bank shall also ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

(a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/his firm's clients, and not participating in bank's credit/investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.

(b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.

(c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

(F) Where the elected director:

(a) fails to

(i) submit the Deed of Covenant or declaration; or

(ii) make proper disclosures; or

(iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or

(b) makes incomplete or incorrect disclosures, or

(c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above, such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR- GOI guidelines dated June 01,2011 as made applicable vide GOI Office Memorandum dated September 03, 2013 and revised vide MOF Letter No.F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 and Letter No. F.No.16/51/2012-BO.I dated July 20, 2016 (the extant Government of India guidelines)

The following criteria may be adopted for nomination of part-time non-official directors (NOD) on the boards of public sector banks/financial institutions etc.

CRITERIA OF EXPERIENCE

- a) Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Act/Rules.
- b) Persons of eminence with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organisation, brought turnaround in a failing organisation) would be preferred.
- c) Retired Senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NoD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of a PSB will not be considered for appointment as NoD on the Board of any other PSB.
- d) Academicians Directors of premier Management Institutes and Professors having more than 20 years experience
- e) Chartered Accountants with 20 years experience (excluding audit experience) would also be preferred

EDUCATION

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialisation in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

AGE

The age of the Director, on the date of recommendation by the Committee should not be more than 67 years.

WORK EXPERIENCE

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

DISQUALIFICATIONS

- a) A director already on a Bank/Financial Institution (FI)/RBI / Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NoD in any other Bank / FI/ RBI/ Insurance Company.
- b) Persons connected with hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/FIs/RBI / Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NoD, if they are not having any managerial control in such companies.
- c) No person may be re-nominated as a NoD on the Board of a Bank/ FI / RBI / Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

TENURE

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/ RBI / Insurance Company if such Director has already been a NOD / Shareholder Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

PROFESSIONAL RESTRICTION

- a) If a Chartered Accountant firm is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as a Non-official Director in any Nationalised Bank / PSB.
- b) If a Chartered Accountant firm is currently engaged in a Nationalised Bank as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firms should be eligible for appointment as a Non-official Director in the same Bank

As restriction imposed by RBI Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates

NOTIFICATION : RESERVE BANK OF INDIA, DEPARTMENT OF BANKING REGULATION

DBR.Appt.BC.No.38/29.39.001/2016-17 and DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016

Special knowledge or practical experience useful to banking companies

In exercise of the powers conferred by Section 10A(2)(a)(ix) of the Banking Regulation Act, 1949, Section 19A(1)(a)(viii) of State Bank of India Act, 1955, Section 25A(1)(a)(viii) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and Section 9(3A)(A)(viii) of Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act 1970/1980, Reserve Bank of India hereby notifies that special knowledge or practical experience in matters or areas relating to (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management would be useful to a banking company, State Bank of India, subsidiary bank and a corresponding new bank, as the case may be.



Indian Overseas Bank
Central Office: 763, Anna Salai, Chennai – 600 002

NOMINATION FORM
(BY THE SHAREHOLDER) (Refer Regulation 65 (d) of the Regulations)

To
The Managing Director & CEO
Indian Overseas Bank
Central Office,
Chennai – 600 002

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTORS

With reference to your Notice dated 08th November, 2022, I, Shri / Smt a shareholder of Indian Overseas Bank holding equity shares of Rs. 10/- each as on Thursday, 10th November 2022 i.e., the Record Date for participating in the Election, do hereby nominate Shri / Smt.son / daughter / wife ofresiding at for being elected as a Director of Indian Overseas Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on December 15, 2022.

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. (if not dematerialized)	
DP ID No. & Client ID No. (If dematerialized)	
Place	
Date	

Notes:

- a) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- b) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- c) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.



Indian Overseas Bank

Central Office: 763, Anna Salai, Chennai – 600 002

Declaration
(By the candidate)
(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I,son / daughter / wife of Shri / Smt.
resident of hereby confirm that :

- a. I am a shareholder holding equity shares of the Bank under Folio No. / DP ID No. / Client No. as **on Thursday, 10th November, 2022 i.e. the Record date** for participating in the elections, and
- b. I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry or Information Technology, Payment & Settlement systems, Human Resources, Risk Management, Business Management, (special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank would be useful to the Bank) and/or I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and
- c. I accept the nominations numbered from to and
- d. I am willing to contest for the election of Director of Indian Overseas Bank and
- e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of The Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Overseas Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 and amended upto 2008 and Notification issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non- Official Directors of Public Sector Banks.
- f. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.
- g. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have been compounded with the creditors and
- h. I have not been found to be of unsound mind and stand so declared by a competent court and has not been convicted by competent court and have not been convicted by a criminal court and have not been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude and
- i. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court; and
- j. I am not connected with any hire purchase, financing, investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP / MLA / MLC/ Stockbroker; and
- k. I am not a Director in any other Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company; and
- l. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and
- m. I am not a Director in any other Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past under any category for two terms or six years whichever is longer and whether continuously or intermittently; and
- n. I will sever professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

- o. I undertake to comply with the relevant provisions of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended till I hold the position of Director of the Bank; and
- p. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.
- q. I give below the details of my present as well as past directorships in other companies / banks :

Name of the company, bank etc.	Directorship details viz. tenure, period etc.

- r. I enclose my personal details in the Personal Information, Declaration and Undertaking Form, which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects,

Name	
Signature	
No. of shares	
Regd. Folio No. / DP ID No. & Client ID No.	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Signature with seal

Name of the attesting official

The declaration must be signed by the nominee before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Indian Overseas Bank or any Nationalized Bank.

***Tick whichever is applicable.**



PERSONAL INFORMATION, DECLARATION & UNDERTAKING

Indian Overseas Bank

Affix Self
Attested
Passport Size
Photo here

Declaration and Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____ 2022

I.	Personal Details of the Candidate	
a.	Full Name (in block capital letters)	
b.	Father's/Husband's name (in full)	
c.	Date of Birth	
d.	Gender	
e.	Academic Qualifications (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information)	
f.	Professional Qualifications (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information)	
g.	Permanent Address	
h.	Present Address	
i.	E-mail address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
j.	Nationality	
h.	Director Identification Number	
i.	Aadhaar Number	



Indian Overseas Bank
Central Office: 763, Anna Salai, Chennai – 600 002

j.	1. Permanent Account Number (PAN) (under the Income Tax Act) (Please enclose a copy) 2. Name and address of the Income Tax Circle / Division where personal tax returns are being filed 3. Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years				
k.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.				
l.	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)				
m.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.				
n.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: (a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI): (b) Date of registration with the ICAI (c) Name and Address of the registered firm/s: (d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:				
o.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings/ current/loan accounts) where you are a primary account holder:	Bank Name	Branch	Type of A/C	A/C Number
p.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)				
q.	Any other information relevant to Directorship of the Bank				
II	Relevant Relationships of the Candidate				

a.	List of relatives if any, who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014																	
b.	List of entities in which: (a) interested [Refer Section 184 of the Companies Act, 2013]: (b) beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]: (c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):																	
c.	List of entities in which he / she is considered as holding substantial interest within the meaning of section 5 (n-e) of The Banking Regulation Act 1949, proposed and existing	<table border="1"> <tr> <td>Name of the company / firm</td><td></td></tr> <tr> <td>Country of incorporation</td><td></td></tr> <tr> <td>Number of shares</td><td></td></tr> <tr> <td>Face Value of each share</td><td></td></tr> <tr> <td>Total face value of share holding</td><td></td></tr> <tr> <td>Shareholding as % of total Paid up Capital</td><td></td></tr> <tr> <td>Beneficial interest (in value as well as % terms)</td><td></td></tr> <tr> <td>Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013</td><td></td></tr> </table>	Name of the company / firm		Country of incorporation		Number of shares		Face Value of each share		Total face value of share holding		Shareholding as % of total Paid up Capital		Beneficial interest (in value as well as % terms)		Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013	
Name of the company / firm																		
Country of incorporation																		
Number of shares																		
Face Value of each share																		
Total face value of share holding																		
Shareholding as % of total Paid up Capital																		
Beneficial interest (in value as well as % terms)																		
Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013																		
d.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India																	
e.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).																	
f.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.																	
g.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.																	
h.	List of entities in which the related parties of the candidate are considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949.																	
i.	Fund and Non Fund Facilities, if any, presently availed of by him / her and / or by entities listed in II (b) and II (c) above from																	

	the Bank	
j.	Cases, if any, where the candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other bank/Financial Institution	
III	Records of professional achievements	
a.	Professional achievements relevant for the Directorship	
IV	Proceedings, if any, against the Candidate	
a.	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate or whether the candidate has been banned from entry of any profession/occupation at any time.	
b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and II (c) above, for violation of economic laws and regulations.	
c.	Details of criminal prosecutions, if any, pending or commenced or resulting in conviction, in the past, against the candidate.	
d.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
f.	Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act 2013 and Rules made thereunder read with Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.	
g.	a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof. b) If convicted by any Court of law, details thereof .	
h.	If holding any office of profit under any nationalized bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof	
i.	If as an individual or any of the entities at II (b) to (h) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	

j.	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities? If so, please furnish particulars.	
k.	Whether the Candidate or entities listed in II (a) and II (b) above has at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, DCA, RBI, IRDA, MCA, FEMA, CIBIL etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed/set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is for technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc., and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate/court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V	GENERAL INFORMATION	
a.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
b.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
c.	In carrying out his/her duties, will the candidate/ director be acting on the directions or instructions of any other individual or institution or bank or companies, etc.. If so, give particulars.	
d.	Has the candidate in his/her individual capacity undertaken any business with the Bank. If so, give particulars.	
VI	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	

Undertaking:

I _____ Son / Daughter / Wife of
Shri _____ confirm that the above information is to the best of my
knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed,
as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment,
which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the Deed of Covenants upon my election as Director of the
Bank.

Date:

Signature of the candidate

Place:

Enclosures:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in
chronological order and with appropriate cross reference.
2. All pages (including annexures) are required to be signed by the candidate.

Observation of Nomination and remuneration Committee

Committee Member	Committee Member	Committee Member

Place:

Date: